


राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय
अधिनियम 2002

(2002 का अधिनियम सं. 15)

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 6, शनिवार, शाके 1924- सितम्बर 28, 2002 Asvina 6, Saturday, Saka 1924-September 28, 2002	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप- 2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 28, 2002

संख्या प. 2 (6)विधि/2/2002 :- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर 2002 को प्राप्त हुई, एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम सं. 15)

[(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर 2002 को प्राप्त हुई)]

संशोधन -राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011(2011का अधिनियम संख्यांक 24)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई)

मूल अधिनियम का प्रोद्धारण - मूल अधिनियम को डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ओधपुर अधिनियम 2002 के रूप में प्रोद्भूत किया जायेगा।

चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग पद्धति में दक्ष और व्यवस्थित शिक्षा, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक अध्यापन, अनुसंधान और सम्बद्धक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

संशोधन -राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011(2011का अधिनियम संख्यांक 24)

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने नाम और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, के नाम को परिवर्तित (1) राजस्थान अधिनियम आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम सं.15) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है के अधीन निगमित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर" होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध लिखित या अन्य दस्तावेजों में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथा परिवर्तित किया जाता है।

(3) इस अधिनियम में की कोई बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

संशोधन (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधन किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के उपलब्ध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 है।

संशोधन - राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 24) - धारा 1. उप धारा (1) में. विद्यमान अभिव्यक्ति " राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम' के स्थान पर अभिव्यक्ति "डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम " प्रतिस्थापित की जाती है।

2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे-

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सम्बद्ध" से धारा 6 या 35 के अधीन सम्बद्ध अभिप्रेत हैं;

(ख) "अनुमोदित संस्था" से धारा 6 या 38 के अधीन अनुमोदित संस्था अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारी" से इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "संस्था" से चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण देने में तथा अनुसंधान और विकास में लगी हुई कोई शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(ङ) "चिकित्सा की भारतीय पद्धति" से होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और योग पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेद पद्धति अभिप्रेत है, चाहे ऐसे आधुनिक अभिवर्धनों द्वारा अनुपूरित हो या न हो जो चिकित्सा की भारतीय पद्धति के मौलिक सिद्धान्तों से संगत हो और जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;

(च) "महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो ऐसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा देता हो जिनका परिणाम कोई डिप्लोमा या उपाधि हो;

(छ) "संकाय" से इस अधिनियम के अधीन गठित आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग का संकाय अभिप्रेत है,

(ज) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए संधारित निवास की ईकाई अभिप्रेत है;

(झ) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "मान्यता प्राप्त संस्था" से धारा 6 या 37 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ट) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "नियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम अभिप्रेत है;

- (ठ) “अध्यापक” से विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था या अनुमोदित संस्था में शिक्षा देने वाले आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित किया जाये;
- (ड) “विश्वविद्यालय का अध्यापक” से विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से शिक्षा देने के लिए नियुक्ति या मान्य शिक्षक अभिप्रेत है;
- (ढ) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- संशोधन -राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011(2011का अधिनियम संख्यांक 24)-धारा 2.** खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् (ढ) “विश्वविद्यालय” के इस अधिनियम के अधीन गठित डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर अभिप्रेत है।
- (ण) “विश्वविद्यालय केन्द्र” से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जहाँ अनुसंधान किया जाता है या स्नातकोत्तर अध्ययन किया जाता है जैसाकि परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उस निमित्त निश्चित किया जाये;
- (त) “विश्वविद्यालय-महाविद्यालय” से ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित करें या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसके द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है: और
- (थ) “विश्वविद्यालय-विभाग” से ऐसा कोई स्नातकोत्तर या अनुसंधान संस्था या विभाग अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित किया जाये।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन:- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या-परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण किये रहते हैं, “राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय” के नाम से इसके द्वारा एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

संशोधन -राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011(2011का अधिनियम संख्यांक 24)-धारा 3. उप धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति “राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्थान पर अभिव्यक्ति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रतिस्थापित की जाती है।

- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा।
- (3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।
- (4) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित करने, अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर उधार लेने, और संविदा करने और दान प्राप्त करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसा कोई भी उधार लेने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य :- विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और सेवा प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति और समझ के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

- (1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के नये आविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना,
- (2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य-समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व्यष्टियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना;
- (3) चिकित्सा की भारतीय पद्धति में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुकर बनाना;

- (4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चिकित्सा की भारतीय पद्धति के समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना;
- (5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं को लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना; और
- (6) देश के विभिन्न भागों और बाहर के समस्त विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कर्तव्य :- ऐसी शर्तों के अधीन, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या अधीन विहित की जायें, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :-

- (1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति की ऐसी शाखाओं में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिन्हें वह उचित समझे, उक्त पद्धति के ज्ञान के अनुसंधान अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना और चिकित्सा की भारतीय पद्धति के ज्ञान को अपनी मौलिक संकल्पना के अनुसार प्रोत्साहित और प्रोत्साहित करना;
- (2) ऐसे उपबंध करना जो संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थानों को अध्ययन संबंधी विशेषज्ञता का उत्तरदायित्व लेने के लिए समर्थ बनायें;
- (3) शिक्षण और अनुसंधान के लिए सामान्य औषध निर्माण प्रयोगशालाएं, औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, औषधालय और अन्य उपस्कर स्थापित और संचालित करना;
- (4) महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन के केन्द्रों और संस्थानों को स्थापित करना, संचालना, चलाना, प्रबंध करना और पर्यवेक्षण करना;
- (5) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों के कोई भी अन्य पद स्थापित करना;
- (6) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यों, उपाचार्यों या प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;
- (7) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम या अनुदेश अधिकथित करना;

- (8) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय-विभागों, विश्वविद्यालय केन्द्रों या मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन के लिए मार्गदर्शन करना;
- (9) उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ स्थापित करना;
- (10) परीक्षाएँ आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदान करना जिन्होंने-

(क) विश्वविद्यालय में या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार, जब तक कि उनसे परिणयमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित रीति से छूट न दे दी गयी हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, या

(ख) आर्डिनेन्स या नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है;

- (11) परिणयमों द्वारा अधिकथित रीति से सम्मानिक उपाधियाँ या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदान करना;
- (12) ऐसे व्यक्तियों को और उनके लिए, जो विश्वविद्यालय के नामांकित विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यान, शिक्षण और प्रशिक्षण का उपबंध करना, जैसा कि परिणयमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा अवधारित किया जाये;
- (13) शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और ऐसे विशेषाधिकार वापस लेना;
- (14) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक करना कि उनमें शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण के समुचित स्तरमान बनाये रखे गये हैं और उनमें पुस्तकालय और प्रयोगशाला के पर्याप्त उपबंध किये गये हैं;
- (15) संबद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थाओं और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियंत्रण और समन्वय करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना;
- (16) न्यास और विन्यास धारण करना और प्रबंध और अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदत्त करना;
- (17) ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें, नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना;

- (18) छात्रावास स्थापित करना, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;
- (19) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता देना, ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण करना और उनसे मान्यता वापस लेना;
- (20) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना;
- (21) विश्वविद्यालय केन्द्रों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य या अनुमोदित संस्थाओं के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के संचालन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना;
- (22) निम्नलिखित स्थापित करना और उनका प्रबंध करना-
- (क) प्रकाशन विभाग,
 - (ख) औषध निर्माण विभाग,
 - (ग) वनस्पति उद्यान,
 - (घ) अनुसंधान केन्द्र, और
 - (ङ) सूचना, शिक्षा और संचार ब्यूरो;
- (23) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना -
- (क) निवेश-बाह्य शिक्षण और अन्य मान्य क्रियाकलापों;
 - (ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेटकोर और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं;
 - (ग) छात्र संघों; और
 - (घ) खेलों और व्यायाम-विषयक-क्रियाकलापों;
- (24) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करें, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से सहयोग करना;
- (25) अनुसंधान-विदों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और चिकित्सा की भारतीय पद्धति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षा देने या चिकित्सा की भारतीय पद्धति के अध्ययन में अन्यथा सहायता देने के लिए आमंत्रित करना और उनके वेतन, मानदेय और उन्हें संदेय अन्य खर्चें नियत करना;

- (26) चिकित्सा की भारतीय पद्धति विषय पर पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, नियत कालिक पत्रिकाओं, पेम्फलेटों और पत्रों का संग्रह करना सम्पादन या प्रकाशन करना और तत्प्रयाजेनार्थ कर्मशाला स्थापित करना और मुद्रणालय खोलना;
- (27) चिकित्सा, फार्माकोपिया, पंचकर्म, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध, योग, विष विज्ञान और चिकित्सा की भारतीय पद्धति में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना या उसमें सहायता करना;
- (28) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिए विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, सहायक उपाचार्यों, सहायक प्राध्यापकों, अतिथि आचार्यों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;
- (29) विदेशी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं आदि से सहयोग कार्यक्रमों के लिए उस निमित्त केन्द्रीय और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्वधीन रहते हुए, निधियां प्राप्त करना;
- (30) महाविद्यालयों या संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कार्य के कालिक निर्धारण की व्यवस्था करना;
- (31) उस उद्देश्य से संगत प्रयोजन के लिए अनुदान, अभिदाय और दान प्राप्त करना जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;
- (32) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों व अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों की आनुषंगि हों या न हों, और सामान्यतया चिकित्सा की भारतीय पद्धति के साथ-साथ विद्या की उसकी अन्य शाखाओं को विकसित और प्रोत्रत करना;
- 6. अधिकारिता और विशेषाधिकारों का दिया जाना:-** (1) कोई भी आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग संस्था राजस्थान राज्य के भीतर, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में सहयोजित नहीं होंगी या कोई भी विशेषाधिकार देने की मांग नहीं करेगी।
- (2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में किसी भी विद्यमान विधि के

अधीन स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध, मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित चिकित्सा की भारतीय पद्धति की कोई संस्था इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के अधीन इस विश्वविद्यालय से संबद्ध, मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित समझे जायेगी और उस विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता, मान्यता या, यथास्थिति, अनुमोदन समाप्त समझे जायेंगे और इस विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता, उसके द्वारा मान्यता या, यथास्थिति अनुमोदन इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाने गये परिणियमों, आर्डिनेन्सों या नियमों के उपबंधों के अध्याधीन चालू रहेगा।

(3) राजस्थान राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा की भारतीय पद्धति की किसी भी संस्था को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्याधीन, जो विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग या पंथ पर विचार किये बिना सभी के लिए खुला है- (1) कोई भी व्यक्ति मात्र लिंग, मूलवंश, पंथ, वर्ग, जन्म स्थान या धार्मिक विश्वास के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद से या इसके प्राधिकारियों में से किसी की सदस्यता से या किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि या पाठ्यक्रम में प्रवेश से अपवर्जित नहीं किया जायेगा;

परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्याधीन किसी महाविद्यालय या संस्थान को, अनन्य रूप से महिलाओं के लिए संधारित करेगा, संबद्ध करेगा या मान्यता देगा, या महिलाओं, या ऐसे वर्गों और समुदायों के सदस्यों के लिए जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति पर, अध्यापक या विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिये जाने के लिये उसे हकदार बनाने या विश्वविद्यालय में कोई भी पदवी या पद धारण करने या कोई भी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि के लिए अर्ह होने या विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों या इसकी किन्हीं भी उपकृतियों का उपभोग या प्रयोग करने के क्रम में लिंग, मूलवंश, पंथ, वर्ग, जन्म स्थान या धार्मिक विश्वास से संबंधित कोई भी परीक्षण, वह चाहे जो भी हो, आरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

8. कुलाधिपति :-(1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति, जब उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

9. कुलाधिपति की शक्तियां :- (1) कुलाधिपति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का गठन करेगा।

(2) कुलाधिपति, जब कभी आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए कुलाधिपति को निर्देश जारी कर सकेगा और कुलाधिपति, ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त कुलाधिपति को उसके परिशीलन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किन्हीं भी मामलों से संबंधित ऐसी सूचना और अभिलेख मंगवा सकेगा और उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के हित में वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालना करेंगे।

(4) विलोपित (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

(5) विलोपित (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

(6) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जायें या उसमें निहित किये जावें।

विलोपित उपधारा (9) की उपधारा (4)व(5)(2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

(4) कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह नाम निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय और इसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं, उपस्करों और परीक्षाओं का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या संधारित किसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी, साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, अध्यापन और अन्य कार्य का निरीक्षण करवा सकेगा।

(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जाँच करवा सकेगा।

10. निरीक्षण

(1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे,-

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का, या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्था या छात्रावास का या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये गये अध्यापन और अन्य कार्य का, या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जैसा वह निर्देश दे जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर- भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाही के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाही नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं हैं तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर-भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।

(प्रतिस्थापित धारा 10-2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

10. कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जांच और निर्देश :-

(1) जहाँ धारा 9 की उप-धारा (4) या (5) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किसी निरीक्षण या जांच का आदेश दिया गया है, वहाँ विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा।

(2) कुलाधिपति के निरीक्षण या जांच और सलाह, यदि कोई हो, का परिणाम कुलाधिपति द्वारा कुलपति को संसूचित किया जावेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा उसकी टिप्पणियों सहित प्रबंध बोर्ड को ऐसी कार्यवाही के लिए, जैसी बोर्ड करने के लिए प्रस्तावित करें, संसूचित की जावेगी और ऐसी की गयी कार्रवाही कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जायेगी।

(4) जहाँ प्रबंध बोर्ड निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप या कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार अपेक्षित कोई कार्रवाई युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल रहता है या कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है वहाँ कुलाधिपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया जा सकेगा और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

**अध्याय - 3
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी**

11. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी - विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (i) प्रबंध बोर्ड,
- (ii) विद्या परिषद्,
- (iii) संकाय,
- (iv) अध्ययन बोर्ड,
- (v) वित्त एवं लेखा समिति,
- (vi) खेल और छात्र कल्याण बोर्ड, और
- (vii) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये।

12. प्रबन्ध बोर्ड :- (1) विश्वविद्यालय का एक प्रबन्ध बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। कुलाधिपति, जैसे ही प्रथम कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बोर्ड का गठन करने की कार्यवाही करेगा।

- (2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
 - (क) कुलपति, अध्यक्ष;
 - (ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;
 - (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्;
 - (घ) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग;
 - (ङ) शासन सचिव, वित्त विभाग या विशिष्ट सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;
 - (च) निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान सरकार;
 - (छ) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर;

- (ज) प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर;
- (झ) विश्वविद्यालय के विभागों या संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे विभागों के प्रधानों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक विभागाध्यक्ष;
- (ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा की भारतीय पद्धति के दो शिक्षाविद्;
- (ट) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य;
- (ठ) स्नातकोत्तर अध्यापन या अनुसंधान का दस वर्षीय अनुभव रखने वाला और जो विश्वविद्यालय के विभाग या सम्बद्ध महाविद्यालयों के विभाग का प्रधान नहीं है, विश्वविद्यालय विभाग या सम्बद्ध महाविद्यालयों से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यापक।
- (ड) एक सदस्य भारतीय चिकित्सा पद्धति आर्युविज्ञान मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा;
- (ढ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधान सभा के दो सदस्य;
- (ण) विश्वविद्यालय का कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा;
- (3) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति पाँच होगी;
- (4) वर्ष में प्रबन्ध बोर्ड की कम से कम दो बैठकें होगी ;
- (5) प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्देशित और सहयोजित सदस्य उनके नामनिर्देशन या सहयोजन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

13. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य :- प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालना करेगा, अर्थात् :-

- (क) ऐसे उपबंध करना जो महाविद्यालयों और संस्थाओं को विशिष्ट अध्ययन करवाने के लिए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हों, आयोजित करने के लिए समर्थ बनाये और अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य पुस्तकालयों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों के लिए उपबंध करना;

- (ख) विद्या परिषद् की सिफारिश पर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों को स्थापित करना और कर्मचारीवृन्द के लिए आवास उपलब्ध करवाना;
- (ग) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यक्षीय परिणयों और आर्डिनेन्सों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;
- (घ) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासकीय मामलों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय की आस्तियों और सम्पत्तियों का प्रशासन के लिए धारण, नियंत्रण और प्रबंध करना;
- (च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएँ करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें निष्पादित और रद्द करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना और इसकी अभिरक्षा और प्रयोग के लिए उपबंध करना।
- (ज) उसके अपने उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, वित्तीय और लेखा समिति से यथा प्राप्त बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन करना।
- (झ) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अंगीकृत करना;
- (ञ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान और विश्वविद्यालय को किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण स्वीकार करना;
- (ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम संपत्ति का विक्रय द्वारा या अन्यथा, अन्तरण करना;
- (ठ) वित्त और लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, उधार देना या उनका विनिधान करना और दान प्राप्त करना;
- (ड) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर प्रशासकीय निधियों के लिए नीति अधिकथित करना।
- (ढ) सम्मानिक उपाधियाँ और विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियाँ प्रदान करने के लिए कुलाधिपति को सिफारिश करना;
- (ण) ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को संस्थित और प्रदत्त करना और जैसा परिणयों द्वारा उपबंधित किया जाये, उन्हें प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करना;
- (त) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, प्रदर्शनी, पुरस्कार, पदक और पारितोषिक संस्थित करना।

- (थ) परस्पर फायदाप्रद शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग के लिए नियम बनाना;
- (द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति के लिए अर्हता अवधारित करना;
- (ध) विश्वविद्यालय के आचार्य, उपाचार्य, अन्य अध्यापकों, कुल सचिव और वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;
- (न) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्वेताओं और लेखकों की नियुक्तियाँ विनियमित और अनुमोदित करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;
- (प) परामशी और अन्य व्यक्तियों की संविदा आधार पर नियुक्ति करना;
- (फ) विश्वविद्यालय के अध्यापनेतर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विहित करना ;
- (ब) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि के अध्वधीन समस्त अनुमोदित संस्थाओं और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए नियम और प्रक्रिया विहित करना;
- (भ) फीस और अन्य प्रभार विहित करना ;
- (म) प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों और परीक्षा संबंधी अन्य कर्मचारीवृन्द, आमंत्रित शिक्षक वर्ग और विश्वविद्यालय को दी गयी ऐसी अन्य सेवाओं के लिए मानदेय, पारिश्रमिक और फीस तथा यात्रा और अन्य भत्ते विहित करना ;
- (य) विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में कुलपति से कालिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना ;
- (य क) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों के सम्यक्, संचालन, कार्यकरण और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई जाँच करवाना ;
- (य ख) अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करवाना; और
- (य ग) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

- 14. विद्या परिषद् :-** (1) विद्या परिषद् अध्यापन, अनुसंधान के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार और शैक्षणिक मामलों में सहयोग कार्यक्रम और अध्यापकों के कार्यभार के मूल्यांकन के संबंध में शैक्षणिक नीतियाँ बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलपति, अध्यक्ष;
- (ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (ग) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्राचार्य;
- (ङ) विश्वविद्यालय विभागों या कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, संबद्ध महाविद्यालयों के विभागों के, दो विभागाध्यक्ष;
- (च) महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय विभागों के विभागाध्यक्षों और मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं के विभागाध्यक्षों से भिन्न, कम से कम सोलह वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों में से विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक;
- (छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, चिकित्सा की भारतीय पद्धति के क्षेत्र में दो विख्यात विशेषज्ञ;
- (ज) कुलसचिव विद्या परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (3) विद्या परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी;
- (4) विद्या परिषद् के नामनिर्देशित या सहयोजित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होंगी;
- परन्तु कोई भी नामनिर्देशित सदस्य पुनः नामनिर्देशन योग्य होगा।

- 15. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य :-** (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकारी होगी और विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और परीक्षाओं के स्तरमानों की विनियमित करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-
- (क) उपाधियाँ, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ संस्थित करने के बारे में प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ख) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विषयों पर आर्डिनेन्स बनाने, संशोधित करने या निरसित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ग) शैक्षणिक मामलों पर नियम बनाना, उन्हें संशोधित या निरसित करना;
- (घ) संकायों को विषय आवंटित करना;

- (ड) विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के पदों के सृजन के लिए नवीन प्रस्तावों के संबंध में विचार करना और सिफारिश करना;
- (छ) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार संस्थित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्ताव करना और उनको प्रदान करने के लिए नियम बनाना;
- (ज) प्रश्नपत्र बनाने वालों, परीक्षकों, अनुसूचकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की अर्हताएं और मानक विहित करना;
- (झ) विद्यमान पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और साध्यता, और नवीन ज्ञान या परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनर्विलोकित या उपांतरित करने की वांछनीयता या आवश्यकता के कालिक पुनर्विलोकन के लिए समितियाँ नियुक्त करना;
- (ञ) साधारणतया सभी शैक्षणिक मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देना और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर प्रबंध बोर्ड को साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

16. **संकाय :-** विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :-

- (1) आयुर्वेद,
- (2) यूनानी,
- (3) प्राकृतिक चिकित्सा,
- (4) योग,
- (5) होम्योपैथी,
- (6) सिद्ध,
- (7) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. **संकायों की संरचना :-** (1) संकायों में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (क) संकाय का संकायाध्यक्ष,
- (ख) संकाय के विभागों के अध्यक्ष,
- (ग) संबंधित संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले तीन प्रख्यात विद्वान्,
- (घ) संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले दो अध्यापक।

(2) किसी संकाय के सहयोजित सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे।

18. **संकायों के कृत्य :-** प्रत्येक संकाय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन बोर्ड से परामर्श के पश्चात् विद्या परिषद् को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और परीक्षाओं की स्कीमों की सिफारिश करना;
- (ख) विद्या परिषद् के माध्यम से, प्रबंध बोर्ड को यह सिफारिश करना कि कौन से अध्ययन बोर्ड संस्थित किये जाने चाहिए और ऐसे बोर्डों का संख्या-बल क्या होना चाहिए और धारा 19 में उपबंधितानुसार उनका गठन करना;
- (ग) उपाधियाँ और अन्य विद्या-संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदत्त करने की शर्तों की विद्या परिषद् को सिफारिश करना;
- (घ) संकाय के समनुदेशित विषयों में कार्य का समन्वय करना;
- (ड) अनुसंधान आयोजित करना, और जहाँ वांछनीय हो, उसमें समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का निपटारा करना।

(छ) मामले अध्ययन बोर्ड के पास भेजना;

(ज) उसके कार्यक्षेत्र में के ऐसे किसी भी मामले पर विचार करना जो अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) कुलपति की मंजूरी से किसी अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करना, ऐसी संयुक्त बैठकें कुलपति द्वारा बुलायी जायेंगी और उनकी अध्यक्षता उसके द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष द्वारा की जायेगी; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. **अध्ययन बोर्ड :-** (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियों और कर्तव्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. **वित्त और लेखा समिति :-** (1) एक वित्त और लेखा समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति, अध्यक्ष;

(ख) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(ग) शासन सचिव, वित्त विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ड) विद्या परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(च) वित्त और लेखा अधिकारी सदस्य सचिव।

(2) समिति, उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लेखाओं, व्ययों की प्रगति और ऐसे समस्त नवीन प्रस्तावों की, जिनमें नवीन व्यय अन्तर्वलित हो, परीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय के लेखाओं का वार्षिक विवरण और वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्त और लेखा समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए और तत्पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह उचित समझे, प्रस्तुत करने के लिए रखा जायेगा।

(4) समिति निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (क) उत्पादक कार्य लिए उधारों के आगमों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमाओं की प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;
- (ख) प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय की आस्तियों और संसाधनों के उत्पादक विनियोजन और प्रबन्ध की सिफारिश करना;
- (ग) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों के संवर्धन की सम्भावनाओं को तलाशना और उनका अवलम्ब लेना;
- (घ) विलोपित (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)
- (ङ) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देना;
- (च) वित्तीय मामलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के समुचित क्रियान्वन को सुनिश्चित करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् या किसी भी अन्य प्राधिकारी निकाय या समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट वित्तीय मामलों पर सलाह देना;
- (ज) वित्तीय मामलों में किसी भी मूल या अनियमितता, जो इसके ध्यान में आये, की रिपोर्ट कुलपति को देना, जो मामले की गंभीरता का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित त्वरित कार्यवाही करेगा या उसे प्रबन्ध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा;
- (5) समिति की अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य और इसकी बैठकों की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाये।
- (6) विलोपित (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

विलोपित उपधारा(2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार के अनुसार)

धारा 20 की उपधारा (4) का खण्ड घ एवं उपधारा (6)

4 (घ) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(6) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

21. खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड:- (1) विश्वविद्यालय एक खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड स्थापित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बोर्ड का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

22. अन्य विश्वविद्यालय निकाय :- ऐसे अन्य निकायों का, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाये, गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

अध्याय - 4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

23. विश्वविद्यालय के अधिकारी :- विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (i) कुलपति,
- (ii) कुलसचिव,
- (iii) संकायों के संकायाध्यक्ष,
- (iv) वित्त और लेखा अधिकारी।
- (v) विश्वविद्यालय सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

24 कुलपति :- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित शोध और/ या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।

(3) कुलपति, निम्नांकित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति;

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर(संशोधन) विधेयक, 2020 की अपुपालना में 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.15 की धारा 24 (2) में अंतःस्थापित किया गया कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित शोध और/ या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो।

(ख) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशेष ज्ञान रखने वाला एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति; और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोज बीन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय खोजबीन समिति शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब

कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य- विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्याग पत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां, कुलपति उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसी कि विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी;

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्णवैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर(संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 19) की अपुपालना में धारा 24 के स्थान पर उपरोक्त प्रतिस्थापित किया गया)

पूर्व धारा 24

24. कुलपति :- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं से संसक्त नहीं होना चाहिए;

(ख) भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) विभाग द्वारा नामनिर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति;
(ग) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई भी अन्य अधिकारी;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्; और कुलाधिपति इन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) पैनल तैयार करने की प्रक्रिया कुलपति की रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पहले प्रारम्भ होगी और कुलाधिपति द्वारा नियत समय सीमा के भीतर भीतर पूरी कर ली जायेगी। कुलाधिपति समय सीमा बढ़ा सकेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी कालावधि कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(3) समिति, कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए, कुलाधिपति के विचारार्थ कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी। नाम वर्णक्रम में कोई भी अधिमान उपदर्शित किये बिना, होंगे। रिपोर्ट के साथ, पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर ब्यौरेवार विवरण, लगा होगा।

(4) विश्वविद्यालय समिति पर कुलाधिपति द्वारा यथा अनुमोदित व्यय उपगत करेगा।

(5) कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से एक को कुलपति नियुक्त करेगा। यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह या तो उसी समिति से या इस प्रयोजन के लिए किसी नयी समिति के गठन के पश्चात् नये पैनल की मांग कर सकेगा।

(6) कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिए या सैसट वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो कुलाधिपति को सामान्यतः उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा, जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा।

(8) कुलाधिपति किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को, निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में, कुल मिलाकर छः मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो वह अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा:-

(क) जहाँ मृत्यु या त्यागपत्र के कारण, कुलपति पद की कोई रिक्ति हो जाती है और उप-धारा (1) से (6) के उपबंधों के अनुसार रिक्ति सुविधापूर्वक और तत्परतापूर्वक भरी नहीं जा सकती है;

(ख) जहाँ कुलपति की रिक्ति बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से होती है।

(9) कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनका परिवर्तन उसके लिए अहितकर रूप में नहीं किया जायेगा।

24 क कुलपति का हटाया जाना- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालना आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर(संशोधन) विधेयक, 2020 की अनुपालना में 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.15 की धारा 24 क के रूप में नवीन धारा अंतःस्थापित की गई।

25. कुलपति की शक्तियाँ (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् का और धारा 50 के अधीन गठित समितियों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और बोलने का हकदार होगा किन्तु मतदान का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं है।

(2) कुलपति को, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् की बैठक और संकायों और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों की, जिनका वह अध्यक्ष है, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति होगी। वह यह शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और सहायक कुल सचिव के समकक्ष या ऊपर की रैंक अधिकारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(4) कुलपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(5) (क) किसी भी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की यह राय हो कि तुरन्त कार्रवाई की जाने अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा। जिसने सामान्य अनुक्रम में ऐसे मामले को निपटाया होता।

(ख) जब इस उप-धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्रवाई के संसूचित होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर, उक्त अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के जरिये प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में, के व्यक्तियों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, निलंबन और दण्ड से संबंधित या ऐसे किसी भी अध्यापक को मान्यता या मान्यता के प्रत्याहरण से संबंधित प्रबंध बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में साधारण नियन्त्रण का प्रयोग करेगा। वह इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

26. कुलसचिव :- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और सीधे कुलपति के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) में अधिकथित रीति से की जायेगी, परन्तु प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। कुलसचिव के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव ऐसा होगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जावें।

(4) कुलसचिव की सेवा की अवधि, अर्हताएँ, वेतन, परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें।

(5) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुलसचिव बीमारी पर अनुपस्थिति या किसी भी अन्य कारण से छः माह से अनधिक की कालावधि के लिए अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो कुलपति कुलसचिव के रूप में कार्यवहन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को तब तक के लिए नियुक्त करेगा जब तक कि नया कुलसचिव नियुक्त नहीं हो और पद ग्रहण नहीं कर लेता या, यथास्थिति, कुलसचिव अपने कर्तव्यों को फिर से सँभाल नहीं लेता है।

(6) कुलसचिव ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाते हैं।

(7) कुलसचिव, अध्यापकों और सहायक कुलसचिव रैंक के अधिकारियों और उसके समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों से भिन्न विश्वविद्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। कुलसचिव के विनिश्चय से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, कुलपति को की जा सकेगी।

(8) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय के अध्यधीन कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(9) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जो, प्रबंध बोर्ड उसके भार साधन में सुपुर्द करे।

(10) कुलसचिव, समय-समय पर, प्राधिकारियों, निकायों या समितियों द्वारा अनुमोदित परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों की पुस्तिका तैयार और आदिनांकित करेगा, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के समस्त संबंधित सदस्यों और अधिकारियों को उपलब्ध करवायेगा।

(11) कुलसचिव प्रशासन के सुधार से संबंधित शिकायतों और सुझावों को प्राप्त करेगा और समुचित कार्रवाई के लिए उन पर विचार करेगा।

(12) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाये या कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायें।

27. संकायाध्यक्ष :- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जिसे निम्नलिखित अधिमान क्रम में कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात् :

(क) संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य/निदेशक;

(ख) संबंधित संकाय में आचार्य की रैंक के विषयों के विभागाध्यक्ष।

(2) संकायाध्यक्ष तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और कोई भी व्यक्ति उसकी विगत पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के अवसान तक पुनः नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

28. संकायाध्यक्ष के कृत्य :- (1) किसी संकाय का संकायाध्यक्ष उस संकाय से संबंधित परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संकायाध्यक्ष, संकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उनकी कार्यवाहियाँ अभिलिखित करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष को, अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों की बैठकों में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं हो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

29. वित्त और लेखा अधिकारी :- (1) (क) वित्त और लेखा अधिकारी विश्वविद्यालय का प्रमुख वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और सीधे कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ख) वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के अनुसार की जायेगी।

(2) वित्त और लेखा अधिकारी वित्त और लेखा समिति का सदस्य-सचिव होगा। वह प्रबंध बोर्ड में उपस्थित रहेगा और अध्यक्ष द्वारा पूछे गये वित्तीय विवरणों के उन विषयों की कार्यवाही में भाग लेगा किन्तु मतदान का हकदार नहीं होगा।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी, वित्त और लेखा समिति और प्रबंध बोर्ड को वार्षिक बजट, लेखा विवरण और संपरीक्षा रिपोर्ट पेश करने के दायित्वाधीन होगा।

(4) वित्त और लेखा अधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंधों के संबंध में कुलपति को सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीमाएँ, अधिक नहीं हो और यह कि समस्त आवंटन उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं, व्यय किये गये हैं;

(ग) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नीतियों पर कुलपति को सलाह देना;

(घ) विलोपित (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

(ड) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, उपस्कर और मशीनरी के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और यह कि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यशालाओं और गोदामों में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री का स्टाक मिलान नियमित रूप से किया जाता है;

(च) कुलपति को यह प्रस्तावित करना कि विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक सदस्य से अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगा जाये;

(छ) कुलसचिव को यह प्रस्तावित करना कि किसी विशेष मामले में अप्राधिकृत व्यय या अनियमितताओं के लिए विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा जावे और दोषों व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जाये;

(ज) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विभाग या विश्वविद्यालय संस्था से किसी ऐसी सूचना और विवरणी की माँग करना, जिसे वह उसके वित्तीय उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहण के लिए आवश्यक समझता है; और

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करना जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें या परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

30.अन्य अधिकारी :- (1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और कृत्य परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(2) अन्य अधिकारियों के वेतन, परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें।

विलोपित धारा 29 की उपधारा 4(घ)-(2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

उपधारा 4(घ)- विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रूप से संपरीक्षा करवाना;

अध्याय - 5

परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम

31. परिनियम:- ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें, परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान;

(ख) उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं और छात्रावासों का स्थापन और संधारण;

(च) वसीयतों, दान और विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबन्ध।

- (छ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों में प्रक्रिया और उनके कार्य के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया;
- (ज) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अध्यापकों की अर्हताएँ ;
- (झ) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हैं या परिणियमों द्वारा विहित किये जायें।

32. परिणियमों का बनाया जाना, उनका संशोधन, प्रवर्तन और निरसन :- (1) परिणियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा इसमें, इसके आगे उपबंधित रीति से बनाये जा सकेंगे या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परिणियमों द्वारा संशोधित या निरसित या परिवर्धित किये जा सकेंगे।

(2) प्रबन्ध बोर्ड परिणियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर विचार कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई परिणियम विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित करता है वहाँ :-

(क) ऐसे परिणियम के प्रारूप को प्रस्तावित किये जाने के पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा, और

(ख) प्रबन्ध बोर्ड, स्वप्रेरणा पर विचार किये गये किसी ऐसे परिणियम को पारित किये जाने के पूर्व संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित प्रत्येक परिणियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे विचारार्थ प्रबन्ध बोर्ड को वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित किसी भी परिणियम को तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) परिणियम या उनके कोई संशोधन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

33. आर्डिनेन्सों का विस्तार और उनका बनाया जाना :- (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये परिणियमों के उपबंधों के अध्याधीन, प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी नियमों का उपबंध करने के लिए आर्डिनेन्स बना सकेगा, अर्थात् :-

(क) छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या;

- (ग) ये शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा;
- (घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण;
- (ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण, उपस्थिति और अनुशासन की शर्तें;
- (च) परीक्षाओं का संचालन
- (छ) अनुसंधान में मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों को मान्यता;
- (ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिलब्धियाँ और सेवा की शर्तें;
- (झ) छात्रों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा पालन और प्रवृत्त किये जाने वाले नियम;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, नियुक्ति की अर्हता और शर्तें;
- (ट) प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली समितियों के कर्तव्य और शक्तियाँ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ड) परीक्षकों की नियुक्तियाँ और कर्तव्यों को विनियमित करने वाली शर्तें;
- (ढ) विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से की गयी संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
- (ण) विश्वविद्यालय में, या उसकी ओर से शिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (त) ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम या परिणियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जा सकेंगे; और
- (थ) साधारणतः वे समस्त विषय, जिनका उपबंध प्रबन्ध बोर्ड की राय में, इस अधिनियम या परिणियमों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग या अधिरोपित कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हैं:

परन्तु विश्वविद्यालय में या उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, परीक्षा की स्कीम में प्रवेश, परीक्षकों की उपस्थिति और नियुक्ति से संबंधित किसी भी आर्डिनेन्स पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आर्डिनेन्स के प्रारूप को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(2) प्रबन्ध बोर्ड को, उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे या तो ऐसे किसी संशोधन के साथ, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाया जाये, या तो पूर्णतः या भागतः पुनः विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसे समस्त आर्डिनेन्स, कुलाधिपति द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात्, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

34. नियम और उनका बनाया जाना :- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, जहां प्रबंध बोर्ड से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा नियम बनाये जाये, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित विषयों के संबंध में और अपने कार्यकलापों के संचालन और ऐसे प्राधिकारी द्वारा गठित की गयी समितियों के कार्यकलापों के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। ऐसे नियम इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

अध्याय - 6 सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

35 सम्बद्धता :- (1) विश्वविद्यालय के सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगा और विद्या परिषद् का यह समाधान करेगा:-

- (क) कि महाविद्यालय उस परिक्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षण और अध्यापन के बारे में परिक्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा;
- (ख) कि महाविद्यालय नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबंधाधीन रहेगा;
- (ग) कि उसके अध्यापन कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा अर्हताएँ और उनकी पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं कि महाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए सम्यक् उपबंध किये जा सकें;
- (घ) कि भवन, जिनमें महाविद्यालय अवस्थित किया जाना है, उपयुक्त हैं और यह कि उन छात्रों के लिए, जो अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ नहीं रह रहे हैं, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित वासों में निवास के लिए

और छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए आर्डिनेन्स के अनुरूप उपबंध किये जायेंगे;

- (ड) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किये गये हैं या किये जायेंगे;

- (च) कि समुचित रूप से उपस्कृत प्रयोगशाला या संग्रहालय में चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के अनुरूप इंतजाम किये जायेंगे;
 - (छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारीवृन्द के कुछ सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय या छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा;
 - (ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि उनके निरन्तर अनुरक्षण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबन्ध किये जा सकें; और
 - (झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, नियत करने वाले नियम इस प्रकार विरचित नहीं किये गये हैं जिसमें उसी के पड़ोस में विद्यमान किसी महाविद्यालय के साथ ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्वलित हो जाये, जो शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली हो।
- (2) कि आवेदन-पत्र में यह आश्वासन अन्तर्विष्ट होगा कि महाविद्यालय की सम्बद्धता के पश्चात् प्रबंध या अध्यापन कर्मचारीवृन्द में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों और समस्त अन्य परिवर्तनों की, जिनके परिणामस्वरूप उप-धारा (1) में उल्लिखित अपेक्षाओं में से किन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाये या पूर्ति निरन्तर नहीं होती रहे, विद्या परिषद् को तत्काल रिपोर्ट की जायेगी।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्या परिषद् -
- (क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विषयों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जिन्हें आवश्यक और सुसंगत समझा जाये, किसी सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई स्थानीय जाँच किये जाने का निर्देश करेगी;
 - (ख) ऐसी जाँच भी करेगी जो उसे इसके बारे में आवश्यक प्रतीत हो;
 - (ग) उसे संप्रेषित किन्हीं शर्तों के पुनर्विचार के लिए आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर, यदि कोई हो, सम्यक् विचार करेगी;
 - (घ) खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणाम का कथन करते हुए, इस प्रश्न पर कि क्या आवेदन पत्र को संपूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, अपनी राय अभिलिखित करेगी।
 - (4) कुलसचिव आवेदन पत्र और समस्त कार्यवाहियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।
 - (5) जहाँ आवेदन पत्र या उसके किसी भी भाग को मंजूर कर लिया जाता है, वहाँ राज्य सरकार के आदेश में वह शिक्षण पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होगा जिसके संबंध में महाविद्यालय

को संबद्ध किया गया है, जहाँ आवेदन पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

(6) राज्य सरकार अपना आदेश कर दे उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कुलसचिव, प्रबंध बोर्ड को आवेदन पत्र उस पर उप धारा (3) से (5) के अधीन की गयी कार्यवाही और उससे संसक्त समस्त कार्यवाहियों के संबंध में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उप धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आवेदन पत्र, उप धारा (4) के अधीन किये गये आदेश से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

36. संबद्धता का संवर्धन - जहाँ कोई महाविद्यालय शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिससे वह संबद्ध है, परिवर्धित करने की वांछा करता है वहाँ जहां तक हो सके, धारा 35 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

37. अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाओं को मान्यता - (1) विद्या परिषद् को महाविद्यालय से भिन्न किसी संस्था को चिकित्सा की भारतीय पद्धति में, अनुसंधान या विशेषज्ञीय ज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था जो ऐसी मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक हो, कुलसचिव को आवेदन-पत्र भेजेगी और आवेदन पत्र में निम्नलिखित मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

- (क) प्रबन्ध निकाय का गठन और उसके कार्मिक;
 - (ख) विषय और पाठ्यक्रम जिनके विषय में मान्यता ली जानी है;
 - (ग) वास सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए उपबंध किया गया है या प्रस्तावित किया जाना है;
 - (घ) स्टाफ की संख्या, उनकी अर्हताएँ और वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य;
 - (ङ) उद्गृहीत फीस या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय, और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज के लिए किये गये वित्तीय उपबन्ध।
- (3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे माँग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति या, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच कर निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदनपत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहाँ विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में उस संस्था को मान्यता दी गयी है और प्रबंध बोर्ड के उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

38 संस्थाओं का अनुमोदन- (1) विद्या परिषद् को एक एकल अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन चिकित्सा की भारतीय पद्धति में विशेषज्ञीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप, अनुसंधान या शैक्षणिक कार्य के लिए किसी संस्था को अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) संस्था, जो ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हो कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगी और आवेदन-पत्र में निम्नलिखित मामलों के संबंध में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

- (क) अध्यापक का नाम, अर्हताएँ, अनुभव और अनुसंधान कार्य जिसके अधीन अनुमोदित कार्य किया जाना है;
 - (ख) कार्य की प्रकृति या विषय जिसके लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है;
 - (ग) वास-सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबन्ध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है;
 - (घ) उद्गृहीत या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज, के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।
- (3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व, कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, माँग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच का निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन-पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहाँ विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में उस संस्था को अनुमोदित किया गया है, और प्रबंध बोर्ड की उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार वर्णित किये जायेंगे।

39. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें - (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्था और अनुमोदित संस्था ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ और अन्य जानकारी देगा जिनकी विद्या परिषद् ऐसे महाविद्यालय या संस्था की दक्षता को आंकने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपेक्षा करे।

(2) विद्या परिषद् प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करायेंगी।

(3) विद्या परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्यवाई, जो उसे धारा 35 की उप धारा (1), धारा 37 की उप धारा (2) या, यथास्थिति, धारा 38 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो, करने की अपेक्षा कर सकेगी।

40. सम्बद्धता का प्रत्याहरण - (1) महाविद्यालय को सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, यदि महाविद्यालय धारा 35 की उप-धारा (1) के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय उससे संबद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय ऐसी रीति से संचालित होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत किये जा सकेंगे या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव केवल विद्या परिषद् में आरंभ किया जायेगा। विद्या परिषद् का ऐसा सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव करने का आशय रखता है उसकी सूचना देगा और वे आधार लिखित रूप में कथित करेगा जिन पर ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विद्या परिषद् संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसी सूचना सहित कि महाविद्यालय की और से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत किसी अभ्यावेदन पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, सूचना की एक प्रति और उप धारा (2) में उल्लिखित लिखित कथन भेजेगी; परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी ;

(4) अभ्यावेदन की प्राप्ति या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर विद्या परिषद् प्रस्ताव सूचना, कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरीक्षण, और ऐसी और जांच जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् प्रबंध बोर्ड को एक रिपोर्ट देगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त प्रबंध बोर्ड ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् मामले में अपनी राय अभिलिखित करेगा,

परन्तु संबद्धता के प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला प्रबंध बोर्ड का कोई संकल्प तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे संकल्प को प्रबंध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन नहीं मिला हो, ऐसा बहुमत प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा।

(6) कुलसचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के उससे संबंधित प्रस्ताव और सभी कार्यवाहियाँ, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश करेगी जो उसे उचित प्रतीत हो और उससे प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगी।

(7) जहाँ उप धारा (6) के अधीन किये गये आदेश द्वारा संबद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः प्रत्याहृत कर लिये गये हैं या उपांतरित किये गये हैं, वहाँ ऐसे प्रत्याहरण या उपांतरण के आधार आदेश में कथित किये जायेंगे।

41. मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण - (1) किसी संस्था को मान्यता या अनुमोदन द्वारा प्रदत्त अधिकार, विद्या परिषद् द्वारा, यदि संस्था उसकी मान्यता या अनुमोदन की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल हो गयी है या उसे समनुदेशित कार्य का संचालन ऐसी रीति से होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक संस्था को छोड़ता है, प्रत्याहृत या किसी कालावधि के लिए निलंबित किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था के बारे में उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व विद्या परिषद् उस संस्था से लिखित सूचना द्वारा, ऐसी सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर-भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि क्यों न ऐसा आदेश कर दिया जाये। कारण दर्शित करने के लिए दी गयी ऐसी कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(3) सूचना के उत्तर में उस संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और जहाँ ऐसा उत्तर प्राप्त न हुआ हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर, विद्या परिषद्, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी कि क्या मान्यता या अनुमोदन प्रत्याहृत कर लिया जाये, या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार आदेश करेगी।

अध्याय 7

स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र

42. स्नातकोत्तर अध्यापन - (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान और प्रशिक्षण ऐसे विषयों में जो परिनियमों में विहित किये जायें, विश्वविद्यालय या ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा संचालित किये जायेंगे।

(2) सभी स्नातकोत्तर विभाग और अनुसंधान केन्द्र सामान्यतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर स्थित होंगे। तथापि विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं विभागों या केन्द्रों को उसके मुख्यालय से बाहर के स्थान या स्थानों पर स्थापित कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जाये, विश्वविद्यालय केन्द्रों को विश्वविद्यालय के मुख्यालय से इतर स्थानों पर भी बना सकेगा।

अध्याय 8

निधि और वित्त

43. विश्वविद्यालय निधि - (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसको विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा।

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भागरूप होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे :

(क) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी अभिदाय या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय की, फीस, और प्रभारों से आय को सम्मिलित करते हुए समस्त स्रोतों से आय;

(ग) वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो।

(3) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे बैंक जो राज्य सरकार द्वारा प्रबंध बोर्ड की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाये, में रखी जायेगी।

44. लेखे और संपरीक्षा - (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कुलपति के निर्देश के अधीन, वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) वित्त और लेखा अधिकारी, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जायें, आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी, द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त और लेखा समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे वित्त और लेखा अधिकारी को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निर्देश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेख मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी जो उन्हे ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।”

44 -क. राज्य सरकार का नियंत्रण- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हैं अर्थात् :-

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन,

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण,

(ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी,

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन,

(ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरणः

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना, और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वित्तीय दायित्व बढ जायें।

स्पष्टीकरण: पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों से संबंध में भी लागू होंगी जिनमें राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना हैं।

44- ख आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा-(1) राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसाकि वह निर्देश दे जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है वह, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निर्देश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।”

2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 15 में नयी धाराओं 44 क और 44 ख का अन्तःस्थापन - इस प्रकार संशोधन मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के पश्चात् और विद्यमान धारा 45 के पूर्व निम्नालिखित नयी धाराएं अन्तः स्थापित की गईं। (2015 का संशोधन विधेयक संख्या 10 के अनुसार)

44. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन - (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वित्त और लेखा समिति के निर्देश के अधीन तैयार किये जायेंगे और प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) प्रबंध बोर्ड, लेखे संपरीक्षित हो जाने के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट को प्रति के साथ इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) वित्त और लेखा समिति ऐसी तारीख से पूर्व जो परिणियमों द्वारा निहित की जाये आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन भी तैयार करेगी।

(4) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार किया जायेगा और प्रबंध बोर्ड उनके संदर्भ में संकल्प पारित करना और इसे वित्त और लेखा समिति को संसूचित करेगा, जो उन पर विचार करेगी और उसमें ऐसी कार्यवाई करेगी जो वह उचित समझे और अंततः लेखे और वित्तीय प्राक्कलनों को अंगीकृत करेगी।

वित्त और लेखा समिति, प्रबंध बोर्ड को, उसकी आगामी बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्यवाई या उसके द्वारा कोई भी कार्यवाई न करने के कारणों की सूचना देगी।

45. वार्षिक रिपोर्ट- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार की जायेगी और कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

46. छात्रों का नामांकन - किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिणियमों द्वारा यथा विहित अर्हताएं नहीं रखता है।

47. छात्रों का निवास - विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्रावास में, या ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें, निवास करेगा।

48. सम्मानिक उपाधि - यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को कोई सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाये कि वह उनकी राय में, विशिष्ट स्थिति और हैसियत के कारण, ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और जहाँ उनकी सिफारिश को, प्रबन्ध बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित प्रबन्ध बोर्ड के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो और कुलाधिपति द्वारा उस सिफारिश की पुष्टि कर दी जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उससे कोई भी परीक्षा देने की अपेक्षा किये बिना इस प्रकार सिफारिश की गयी सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगा।

49. उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना- (1) कुलाधिपति, विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर, जिसे प्रत्येक निकाय के उसकी बैठक में उपस्थित दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रत्येक निकाय के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो, किसी व्यक्ति से कोई उपाधि या डिप्लोमा वापस ले सकेगा, यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का, जो विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित गम्भीर अपराध हो, दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति की परिणियमों द्वारा विहित रीति से अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

50. समितियाँ- विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों को समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी। ऐसी समितियों ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकेंगी जो समिति को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

51. पेंशन, बीमा और भविष्य निधि- विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे विषयों जैसे बीमा, पेंशन, भविष्य निधि में फायदे या ऐसे अन्य फायदों के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो परिणियमों द्वारा विहित की जायें ऐसे उपबन्ध करेगा, जो वह उचित समझे।

52. भविष्य निधि का सरकारी खजाने में जमा किया जाना - (1) जहाँ विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए धारा 51 के अधीन भविष्य निधि स्थापित की है वहाँ ऐसी निधि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे निदेशों, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा दे, के अनुसार राज्य के सरकारी खजाने में जमा की जायेगी और उस पर,

(क) निधि का अभिदाता अपने भविष्य निधि खाते में, के अतिशेष पर उसी दर से ब्याज का हकदार होगा जिससे राज्य का सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में अतिशेष पर तत्समय हकदार है; और

(ख) भविष्य निधि में से प्रत्याहरण की परिसीमाओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त नियम अभिदाता पर, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे जैसे सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं।

(2) इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऐसी किसी भविष्य निधि पर लागू नहीं होगी जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) लागू होता है।

53 पद का रिक्त किया जाना - (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई सदस्य कुलसचिव के माध्यम से, कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र, कुलपति द्वारा उसकी स्वीकृति पर या कुलपति द्वारा पत्र प्राप्त किये जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभाव होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी सदस्य कि न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराये जाने पर, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सदस्य नहीं रहेगा।

54. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्य से भिन्न) किसी सदस्य के पद में ऐसे सदस्य की पदावधि की समाप्ति के पूर्व, कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति सदस्य के नामनिर्देश नियुक्ति या, यथास्थिति, सहयोजन द्वारा यथाशीघ्र सुविधानुसार भरी जायेगी जो तब तक धारित करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नाम निर्देशित, नियुक्त सहयोजित किया गया है पद धारित करता यदि रिक्ति नहीं होती।

55. कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमाम्य नहीं होना- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमाम्य नहीं होगी।

56. संकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूर्ण किया जाना - इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिणियमों और आर्डिनेन्सों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संकाय की परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने की हकदार, संस्था के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के तुरन्त पूर्व अध्ययन कर रहा था या संकाय की किसी परीक्षा के लिए पात्र था, उसकी तैयारी के लिए उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय, संकाय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से उपबन्ध करेगा जो परिणियमों द्वारा विहित की जायें।

57. प्रथम कुलपति की नियुक्ति - धारा 24 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथा साध्य शीघ्रता से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

58. विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या निकाय के गठन के बारे में विवाद- यदि, इस अधिनियम के या किसी परिणियम, आर्डिनेंस या नियम के किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में या इस बारे में कोई भी प्रश्न उद्भूत हो कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है या सदस्य नहीं रह गया है तो वह मामला, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या निकाय की याचिका पर या स्वप्रेरण से, कुलपति द्वारा कुलाधिपति को इसी प्रकार निर्दिष्ट किया जायेगा। कुलाधिपति ऐसी सलाह लेने के पश्चात् जो वह उचित समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

59. अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना - विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय, दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए या विश्वविद्यालय के किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया है या जो किये गये किसी कार्य के लिए प्रतिकारात्मक भत्ते या फीस के रूप में विश्वविद्यालय निधि से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जब वह ऐसी नियुक्ति या कार्य से संसक्त कर्तव्यों और कृत्यों का पालन कर रहा हो और उनके पालन से सम्बन्धित समस्त मामलों के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

60. विधिक कार्यवाहियाँ - विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा, या कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्देशित किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या प्रतिरक्षित की जायेंगी।

61. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति - यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

62. परिणियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना - (1) विश्वविद्यालय का समय-समय पर बनाया गया प्रत्येक परिणियम, आर्डिनेन्सों और नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, संशोधन द्वारा या अन्यथा बनाया गया विश्वविद्यालय का प्रत्येक परिणियम, आर्डिनेन्स और नियम उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए रखा जायेगा जो एक सत्र में या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या सत्रों के ठीक पश्चात्पूर्वी सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन परिणियम, आर्डिनेन्स और नियम में कोई भी उपांतरण करने के लिए सहमत होता है या सदन इस बात पर सहमत होता है कि परिणियम, आर्डिनेन्स और नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् परिणियम, आर्डिनेन्स, और नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उस परिणियम, आर्डिनेन्स और नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

जी.एस. होरा,
शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 28, 2002

No. F. 2(6) Vidhi/2/2002 - In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Ayurved Vishva Vidhyalaya Adhiniyam, 2002 (2002 Ka Adhiniyam Sankhyank 15):--
(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY ACT, 2002

(Act No. 15 of 2002)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of September, 2002]

Amendment - THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, (CHANGE OF NAME) BILL ACT, 2011 (Act No.24 of 2011)

(Received the assent of the Governor on the 21 day of September, 2011)

Citation of the principal Act- The principal Act may be cited as The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University .Jodhpur Act. 2002

An Act

to establish and incorporate a teaching research and affiliating University for the purpose of ensuring efficient and systematic instruction, teaching, training, research and development in Ayurved, Unani, Naturopathy, Homoeopathy, Siddha and Yoga system of medicines.

Amendment - THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, (CHANGE OF NAME) BILL ACT, 2011 (Act No.24 of 2011)

1. **Short title and commencement** – (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved University (change of name) Act. 2011
(2) It shall come into force at once.
2. **Change of name of the Rajasthan Ayurved University**–
(1) The name of the Rajasthan Ayurved university incorporated under the Rajasthan Ayurved University Act 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act shall As from the date of commencement of this Act be “The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University. Jodhpur”
(2) Any reference to the Rajasthan Ayurved University in any law for the time being in force or in may indenture instrument or other document shall be read and construed as a reference to that university under it name as by this Act.
(3) Nothing in this act shall affect the continuity of the corporate status of the said university.

3. Amendment –

- (1) As from the date of commencement of this Act. Stand amended to the
Extent and in the manner specified in the schedule
- (2) The provisions of sub- section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved University Act, 2002.

Amendment - THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, (CHANGE OF NAME) BILL ACT, 2011 (Act No.24 of 2011)

Section 1 In sub-section (1) for the existing expression the Rajasthan Ayurved University Act the expression the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University .Jodhpur Act shall be substituted

- (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force on and from such date as the State Government may by notification, appoint.
- 2. Definitions -** In this Act, unless the context otherwise requires --
- (a) **'affiliated'** means affiliated under section 6 or 35;
(b) **'approved institution'** means an institution approved under section 6 or 38;
(o) (c) **'authorities'** means the authorities of the University as specified by or under this Act;
(d) **'institution'** means an educational institution engaged, in imparting instruction, teaching and training and in research and development in the Indian System of Medicines;
(e) **'Indian System of Medicine'** means the ashtang Ayurved system of medicine including Homoeopathy, Unani, naturopathy, Siddha and Yoga Systems, whether supplemented or not by such modern advances, as are consistent with the fundamental principles of Indian System of Medicine and as the University may from time to time determine;
(f) **'College'** means a college teaching courses leading to a diploma or degree;

- (g) **'faculty'** means the faculty of Ayurved, Unani, Naturopathy, Homoeopathy, Siddha and Yoga constituted under this Act;
(h) **'hostel'** means a unit of residence for students maintained by the University, and affiliated college or a recognized or approved institution;
(i) **'principal'** means the Chief Executive Officer of a College or any person duly appointed to act as such;
(j) **'recognised institution'** means an institution recognized under section 6 or 37;
(k) **'Statute',' Ordinance' and 'Rule'** means respectively the Statutes, Ordinances and Rules of the University made under this Act;
(l) **'teacher'** means professors, readers, lecturers and such other persons imparting instruction in the University, and affiliated college or a recognised institution or an approved institution as may be declared to be teachers by the statutes;
(m) **'teacher of the University'** means teacher appointed or recognised by the University for imparting instruction on its behalf;
(n) **'University'** means the Rajasthan Ayurved University constituted under the Act;

Amendment - THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, (CHANGE OF NAME) BILL ACT, 2011 (Act No.24 of 2011)

Section 2 – For clause (n) the following clause shall be substituted namely:-

(n) 'University' means the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University .Jodhpur constituted under this Act.

- (o) **'University center'** means a center where research is conducted or post-graduate studies are imparted as determined by the Statutes or Ordinances, in that behalf;
(p) **'University college'** means a college, which the University may establish or maintain under this Act or a college transferred to the University and maintained by it; and
(q) **'University department'** means any post-graduate or Research institution or department maintained as such by the University.

**CHAPTER II
THE UNIVERSITY**

Incorporation of University -- (1) The chancellor, the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Board of Management and Academic Council of the University and all persons who may here after become such officers or members

3. so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constitute a body corporate by the name of 'The Rajasthan Ayurved University'.

Amendment - THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY, (CHANGE OF NAME) BILL ACT, 2011 (Act No.24 of 2011)

Section 3 In sub- sution (1) for the existing expression “The Rajasthan Ayurved University “the expression “The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University .Jodhpur shall be substituted.

(2) Headquarters of the University shall be at Jodhpur.

(3) The University shall have perpetual succession and a common seal, and may sue and be sued by the said name.

(4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, to raise loans on the security of its assets and to contract and to receive donations and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that the power to raise any such loan shall be exercised after obtaining previous permission of the State Government.

4. Object of the University -- The object of the University shall be to disseminate, create and preserve knowledge of Indian System of Medicine and understanding by teaching, research, extension education and service and by effective demonstration, in general and in particular the object shall be --

- (1) to carry out its responsibility of new inventions, preservation and dissemination of knowledge of Indian System of Medicine;
- (2) to extend the benefits of knowledge and skills for developing total health of individuals and society by associating the University closely with local and regional health problems;
- (3) to facilitate research and specialization in Indian System of medicine;
- (4) to promote acquisition of knowledge in a rapidly developing and changing society and to continuously offer opportunities of upgrading discovery in all fields of Indian System of Medicine with use of modern communication media and technologies;
- (5) to build up financial self-sufficiency by undertaking academic and allied programmes and resource generative services in a cost effective manner; and
- (6) to serve as an academic centre of excellence for all students from different parts of the country and outside..

5. Powers and duties of University-- Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the University shall have the following powers and shall perform the following duties, namely: --

- (1) to provide for instructions, teaching, training and research in such branches of Indian System of Medicine as it may think fit, to make provisions for research, advancement and dissemination of the

- (2) knowledge of the said system and to promote and encourage the knowledge of Indian System of Medicine in its original concept;
- (2) to make such provisions as would enable affiliated colleges, recognized institutions and approved institutions to undertake specialization of studies;
- (3) to establish and organize common pharmaceutical laboratories, drug tasting laboratories, libraries, museums, pharmacies and other equipments for teaching and research;
- (4) to establish, takeover, maintain, manage and supervise colleges, affiliated colleges, departments, centers and institutes of research or specialized studies;
- (5) to institute professorship, readership, lectureship and any other posts of teachers required by the University;
- (6) to appoint or recognize persons as professors, readers or lecturers or otherwise as teachers of the University;
- (7) to lay down the courses or instructions for the various examinations;
- (8) to guide teaching in colleges, University departments, University centers or recognized and approved institutions;
- (9) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (10) to hold examinations and to confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who --
 - (a) have pursued approved courses of study in the University or in an affiliated college unless exempted there from in the manner prescribed by the Statutes, Ordinances and Rules and have passed the examinations prescribed by the University, or
 - (b) have carried on research under conditions prescribed by the Ordinances or Rules;
- (11) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner laid down by the Statutes;
- (12) to grant such diplomas to, and to provide such lectures, instructions and training, for persons who are not enrolled students of the University as may be determined by the Statutes, Ordinances and Rules;
- (13) to admit educational institutions to the privileges of the University and to withdraw such privileges;
- (14) to inspect colleges, recognized institutions and approved institutions and to take measures to ensure that proper standards of instructions, teaching or training are maintained in them and that adequate library and laboratory provisions are made therein;
- (15) to control and co-ordinate the activities of, of to give financial aid to, affiliated colleges, approved institutions and recognized institutions;
- (16) to hold and manage trusts and endowments and to institute and award fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

- (17) to fix, to demand and to receive or recover such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinances;
- (18) to establish, maintain and manage hostels;
- (19) to recognize hostels not maintained by the University, to inspect such hostels and to withdraw recognition therefrom;
- (20) to co-ordinate, supervise, regulate and control the residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (21) to co-ordinate, supervise, regulate and control the conduct of teaching and research work of University centres, affiliated colleges and the institutions recognized or approved by the University;
- (22) to institute and manage
 - (a) Publication Department,
 - (b) Pharmaceutical Department,
 - (c) Botanical Garden,
 - (d) Research centre, and
 - (e) Information, Education and Communication Bureau;
- (23) to make provisions --
 - (a) for extra-mural teaching and other recognized activities;
 - (b) for physical education, National Cadet Corps and National Social Services;
 - (c) for student unions; and
 - (d) for sports and athletic activities;
- (24) to co-operate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (25) to invite research-scholars, students, professors, Vaidyas, medical practitioners and other interested persons in the study of Indian System of Medicine to give lectures, instructions or otherwise help in the study of the Indian System of Medicine and -----, honoraria and other expenses payable to them;
- (26) to collect, edit or publish manuscripts, Books, periodicals, pamphlets and papers in the subject of Indian System of Medicine and for that purpose to establish works and open printing press;
- (27) to carry out or help surveys and research work in the field of Medicine, Pharmacopoeia, Panchkarma, Unani, Naturopathy, Homoeopathy, Siddha, Yoga, Toxicology and History of Indian System of Medicine;
- (28) to appoint or recognize persons working in any other University or other organisations as adjunct professors, visiting professors of the University for specified periods;
- (29) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies, University, Institutions etc. subject to rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf;
- (30) to provide for periodical assessment of the performance of teachers and non-teaching employees of the colleges or institutions and University;

- (31) to receive grants, subscriptions, donations and gifts for the purpose of University is established;
- (32) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University and generally to cultivate and promote Indian System of Medicine as well as its other branches of learning.

6. Jurisdiction and admission to privileges :- (1) No Ayurvedic, Unani, Naturopathy, Homoeopathy, Siddha and Yoga institution within the State of Rajasthan shall, save with the sanction of the State Government and the University, be associated in any way with or seek admission to any privileges of any other University established by law.

(2) Not with standing anything to the contrary contained in any other law for the time being in force in the State an institution of Indian System of Medicine affiliated to, recognized or, as the case may be, approved by any University established in the State immediately before the commencement of the Act under any existing law shall, immediately after the commencement of this Act, be deemed affiliated to, recognised or, as the case may be approved by, this University under this Act, and its affiliation, recognition or, as the case may be approval by that University shall be deemed discontinued and its affiliation to, recognition or, as the case may be, approval by this University shall be continued subject to the provisions of this Act or the Statutes, Ordinances or Rules made under this Act.

(3) Any institution of Indian System of Medicine situate outside the State of Rajasthan may, subject to such conditions and restrictions as the University and the State Government may think fit to impose, be admitted to the privileges of the University.

7. University opens to all irrespective of sex, religion, class or creed- (1) No person shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities or from admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on the sole ground of sex, race, creed, class, place of birth or religious belief:

Provided that the University may, subject to the previous sanction of the State Government, maintain, affiliate or recognize any college or institution exclusively for women, or reserve for women, or members of classes and communities which are educationally backward, seats for the purpose of admission as student in any institution maintained by the University.

(2) It shall not be lawful for the University to impose on any person any test whatsoever relating to sex, race, creed, class, place of birth or religious belief in order to entitle him to be admitted as a teacher or a student or to hold any office or post in the University or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction or to enjoy or exercise any privileges of the University or any benefactions thereof.

8. Chancellor. - (1) The Governor of the State of Rajasthan shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(3) The Chancellor when present shall preside over the convocation of the University.

9. Powers of the Chancellor - (1) The Chancellor shall constitute the Board of Management and the Academic Council of the University in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Chancellor may issue directions to Vice-Chancellor to convene the meeting of any authority of the University for specific purposes, whenever necessary and the Vice-Chancellor shall submit the minutes of such meetings to the Chancellor for his perusal.

(3) The Chancellor may call for such information and record relating to any affairs of the University and issue such directions thereupon as he may deem fit in the interest of the University and the authorities and officers of the University shall comply with such directions.

(4) Deleted according to (Amendment)Bill, 2015

(5) Deleted according to (Amendment)Bill, 2015

(6) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred upon or vested in him by or under this Act.

Deleted sub section (4) &(5) of Section (9) according to Amendment Bill 2015

(4) The Chancellor may cause an inspection by such person or persons as he may nominate, of the University and its building, centres, libraries, museums, workshops, equipments and examinations and also of any institution, college or hostel administered, controlled or maintained by the University as well as of the examination, teaching and other work conducted by the University.

(5) The Chancellor may cause an enquiry into any matter related to administration or the finances of the University.

10. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he may direct—

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any college, institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the

University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.”

Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 15 of 2002

10. Inspection or inquiry and direction by the Chancellor - (1) Where an inspection or inquiry has been ordered by the Chancellor of the University under sub-section (4) or (5) or section 9, the University may depute one of its officers to represent it, in such inspection or enquiry.

(2) The result of the inspection or inquiry and the advice, if any, of the Chancellor shall be communicated by the Chancellor to the Vice-Chancellor.

(3) The result and the advice referred to in sub-section (2) shall be communicated by the Vice-Chancellor with his comments to the Board of Management for such action as the Board may propose to take and the action so taken shall be communicated to the Chancellor through Vice-Chancellor.

(4) Where the Board of Management fails, within reasonable time, to take any action as such required in the result of the inspection or inquiry of in the advice given by the Chancellor or does not take action to the satisfaction of the Chancellor, a direction may be issued by the Chancellor and the Board of Management shall comply with such direction.

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

11. Authorities of University.- The following shall be the authorities of the University, namely -

(i) Board of Management,

(ii) Academic Council,

(iii) Faculties,

(iv) Board of Studies,

(v) Finance and Accounts Committee,

(vi) Board for Sports and Student Welfare, and

(vii) Such other Bodies of the University as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

12. Board of Management. - (1) There shall be a Board of Management of the University which shall be the principal executive body of the University. The Chancellor, as soon as the first Vice-Chancellor is appointed, take action to constitute such Board in accordance with the provisions of this Act.

(2) The Board shall consist of the following members, namely -

- (a) The Vice-Chancellor-Chairman;
- (b) Deans of Faculties;
- (c) One distinguished Ayurvedic educationist nominated by the Chancellor;
- (d) The Secretary to the Government, Department of Ayurved;
- (e) The Secretary to the Government, Finance Department or his nominee not below the rank of Special Secretary;
- (f) The Director of Ayurved, Government of Rajasthan;
- (g) The Director, National Institute of Ayurved Jaipur;
- (h) The Principal, Government Ayurved College Udaipur;
- (i) One Head of Department, nominated by the Vice-Chancellor from amongst the heads of University departments or such department of affiliated colleges;
- (j) Two educationists of Indian System of Medicine nominated by the State Government;
- (k) One Principal, co-opted by Board of Management from amongst the Principals of affiliated colleges;
- (l) One teacher from the University department or affiliated colleges having ten years experience of post-graduate teaching or research and who is not a Head of University department or department of affiliated college, nominated by the Vice-Chancellor.
- (m) One member shall be nominated by the Ministry of Indian System of Medicine (Health and Family Welfare) Government of India;
- (n) Two member of the State Legislative Assembly nominated by the Speaker;
- (o) The Registrar of the University shall be member secretary of the Board of Management but shall not have the right to vote.

(3) The quorum at the meeting of the Board of Management shall be five.

(4) There shall be not less than two meetings of the Board of management in a year.

(5) The nominated and co-opted members of the Board of Management shall hold office for a period of three years from the date of their nomination of co-option.

13. Powers and duties of the Board of Management- The Board of Management shall exercise the following powers and perform the following duties namely :-

- (a) to make such provisions, as may enable colleges and institution to undertake specialized studies and, where necessary or desirable, organize and make provisions for common libraries, museums, laboratories and equipments for teaching and research;
- (b) to establish departments, colleges, institutions, hostels and provide housing for staff, on the recommendation of the Academic Council;

- (c) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances, subject to approval by the Chancellor,
- (d) to control and supervise all administrative, affair of the University,
- (e) to hold, control and arrange for administration of assets and properties of the University,
- (f) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University,
- (g) to determine the form of a common seat for the University, and provide for its custody and use;
- (h) to approve the budget estimates and received from the Finance and Accounts Committee with its own modifications, if any;
- (i) to consider and adopt the annual report, annual accounts and audit report,
- (j) to accept, on behalf of the University, trusts, bequests, donations and transfer of any movable or immovable property to the University;
- (k) to transfer by sale, or otherwise, any movable property on behalf of the University;
- (l) to borrow, lend or invest funds and receive donations on behalf of the University as recommended by the Finance and Accounts Committee;
- (m) to lay down policy for administrating funds at the disposal of the University for specific purposes;
- (n) to recommend to Chancellor for conferment of honorary degrees and academic distinctions;
- (o) to institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as recommended by the Academic Council and arrange for convocations for conferment of the same, as provided by the Statutes;
- (p) to institute fellowships, traveling, fellowships, scholarship, studentship, exhibition, awards, medals and prizes;
- (q) to make rules for collaboration with other Universities, institutions and organization for mutually beneficial academic programmes;
- (r) to create posts of teachers, officers and other employees of the University, subject to prior approval of the State Government and to determine qualification for appointment thereon;
- (s) to approve appointment of Professor, Reader, other teachers of the University, Registrar and Finance and Accounts Officer;
- (t) to regulate and approve the appointments of visiting professors, Emeritus Professors, Fellows and writers and to determine the terms and conditions of such appointments;
- (u) to appoint consultants and other persons on contract basis;
- (v) to prescribe procedure for selection and appointment of non-teaching employees of University;
- (w) subject to any law made by the State Government in this behalf, to prescribe rules and procedure for appointment of teachers, officers and other employees in all approved institutions and affiliated colleges and terms and conditions of their services;
- (x) to prescribe fees and other charges;

- (y) to prescribe honoraria, remunerations and fees and traveling and other allowances for paper setters, examiners and other examination staff, visiting faculty, and for such other services rendered to the University;
- (z) to receive and consider report of the working of the University from the Vice-Chancellor periodically;
- (za) to cause an inquiry to be made in respect of any matter concerning the proper conduct, working and finances of colleges institutions or department of the University;
- (zb) to enforce discipline in teachers, officers, employees and students; and
- (zc) to do all such acts as are necessary to carry out the object of the University.

14. Academic Council.- (1) The academic Council shall be responsible for laying down the academic policies in regard to maintenance and improvement of standards of teaching, research and collaboration programme in academic matters and evaluation of work load of the teachers.

(2) The Academic Council shall consist of the following, namely :-

- (a) The Vice-Chancellor-Chairman;
 - (b) The Deans of Faculties;
 - (c) Chairman of the Boards of Studies;
 - (d) One Principal nominated by Vice-Chancellor;
 - (e) Two Heads of Departments from University departments or such departments of affiliated colleges nominated by the Vice-Chancellor;
 - (f) One teachers representing each faculty to be co-opted by the Academic Council from amongst the teachers having not less than sixteen years teaching experience, other than principals of colleges, Heads of University departments and Heads of recognised or approved institutions;
 - (g) Two eminent experts in the field of Indian System of Medicine nominated by the Chancellor.
 - (h) The registrar shall act as member secretary of the academic council.
- (3) The Academic Council shall meet not less than twice in a year.
- (4) The terms of the nominated or co-opted members of Academic council shall not exceed three years,
Provided that a nominated member shall be eligible for renomination.

15 Powers and duties of the Academic Council -

- (1) The Academic Council shall be the Principal academic authority of the University and shall be responsible for regulating and maintaining the standards of teaching, research and examinations in the University.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Academic Council shall exercise the following powers and perform the following duties, namely :-
 - (a) to recommend to the Board of Management regarding institution of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

- (b) to recommend to the Board of Management to make, amend or repeal Ordinances on issues related to academic matters ;
- (c) to make, amend or repeal Rules on academic matters;
- (d) to allocate subject to the faculties;
- (e) to make proposals for the establishment of colleges; departments, institutions, libraries, laboratories and museums in the University;to consider and make recommendations regarding new proposals for creation of posts of teachers and other academic staff required by the University;
- (f) to make proposals to the Board of Management for the institution of fellowships, traveling fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes and make rules for their awards;
- (g) to prescribe qualifications and norms for appointment of paper setters, examiners, moderators and others, concerned with the conduct of examinations;
- (h) to appoint committees to review periodically the utility and practicability of the existing courses of study and the desirability or necessity of reviewing or modifying them in the light of new knowledge or changing societal requirements;
- (i) to generally, advise the University on all academic matters and submit to the Board of Management feasibility reports on academic programmes;
- (j) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act, the Statutes and Ordinances;

16. Faculties - There shall be following faculties in the University, namely -

- (1) Ayurved
- (2) Unani,
- (3) Naturopathy,
- (4) Yoga,
- (5) Homoeopathy,
- (6) Siddha,
- (7) Such other faculties as may be prescribed by the Statutes.

17. Composition of Faculties - The Faculties shall consist of the following, namely :-

- (a) The Dean of the Faculty,
- (b) Heads of Departments of the Faculty,
- (c) Three eminent scholars to be co-opted by the Faculty concerned,
- (d) Two teachers to be co-opted by the Faculty,
- (e) The co-opted members of a Faculty shall hold office for a period of three years.

18. Functions of the Faculties - Each Faculty shall discharge the following function, namely -

- (a) to recommend to the Academic Council courses of study and curricula and schemes of examinations, after consulting the Boards of Studies;
- (b) to recommend to the Board of Management through the Academic Council what Boards of Studies should be instituted and the strength of such Boards, and to constitute them as provided in section 19;
- (c) to recommend to the Academic Council conditions for the award of degrees and other academic distinctions;
- (d) to co-ordinate work in the subjects assigned to the Faculty.
- (e) to organize research, or the secure co-ordination therein when desirable;
- (f) to deal with any matter referred to it by the Academic Council;
- (g) to remit matters to Boards of Studies;
- (h) to consider any matter within its purview referred to it by a Board of Studies;
- (i) to hold meetings with the sanction of the Vice-Chancellor jointly with any other Faculty or Faculties, such joint meetings to be convened by the Vice-Chancellor and to be presided over by him or by a Dean nominated by him; and
- (j) to discharge such other functions as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Rules,

19. Boards of Studies - (1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be prescribed by the Statutes.

(2) The constitution, powers and duties of the Boards of Studies shall be as prescribed by the Statutes.

20. Finance and Accounts Committee - (1) There shall be a Finance and Accounts Committee consisting of the following, namely :-

- (a) The Vice-Chancellor-Chairman;
- (b) Secretary of the Government, Department of Ayurved or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;
- (c) Secretary of the Government, Department of Finance or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;
- (d) One person, nominated by the Board of Management from amongst its members;
- (e) One person, nominated by the Academic Council from amongst its members;
- (f) The Finance and Accounts Officer-Member Secretary.

(2) The committee shall meet at least four times year to examine the accounts, the progress of expenditure and all new proposals involving fresh expenditure in the light of the provision available.

(3) The annual statement of accounts and the financial estimates (budget) of the University, prepared by the Finance and Accounts officer shall be laid before the recommendation, and for submission thereafter to the Board of Management for such action as it thinks fit.

(4) The committee shall perform the following additional functions and duties, namely:-

(a) to recommend to the Board of Management the limits for the total recurring and non recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University including the proceeds of loans for productive work;

- (b) to recommend to the Board of Management productive investment and management of University assets and resources;
- (c) to explore the possibilities of, and resort to augmenting the resources for the development of the University;
- (d) Deleted clause according to Amendment Bill No.15 of 2015.
- (e) to advise the Board of Management of matter related to the administration of the property and the funds of the University;
- (f) to ensure proper implementation of the State Government orders issued from time to time in respect of financial matters;
- (g) to advise on financial matters referred to it by the Board of Management, Academic Council or any other authority, body or committee or any officer of the University;
- (h) to report to the Vice-Chancellor any lapse or irregularity in financial matters which comes to its notice who may take suitable prompt actions after assessing the seriousness of the matter or refer it to the Board of Management.

(5) The other powers and duties of the committee and the procedure at its meetings shall be such as may be prescribed by the Statutes;

(6) Deleted clause according to Amendment Bill No.15 of 2015.

Deleted existing subsection 6 & clause of sub-section (4) of Section 20

Amendment of section 20 according to according to Bill No. 10 of 2015

20-4-(d) to take necessary steps to have the University accounts audited by auditors appointed by the Board of Management;

20-6 The annual accounts of the University shall be open for audit by the auditors appointed by the State Government.

21. Board for Sports and Students Welfare - (1) The University shall establish a Board for Sport and Students Welfare;

(2) The constitution, powers and duties of the Board established under sub-section (1) shall be as prescribed by the Statutes.

(22) **Other University Bodies** - The constitution, powers and duties of such other bodies as may be declared by the Statutes.

CHAPTER IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

23. Officers of University - The following shall be the officers of the University, namely -

- (i) The Vice-Chancellor,
- (ii) The Registrar,
- (iii) The Deans of Faculties,
- (iv) The Finance and Accounts Officer,
- (v) Such other officers in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University;

24. Vice-Chancellor

- (1) The Vice Chancellor shall be a whole time paid officer of the University
- (2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician in the field of Ayurveda having a minimum of ten years college or ten year experience in an equivalent position in a reputed research and /or academic administrative organization and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.
- (3) The Vice- Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the state Government from amongst the person included in the panel recommended by the search committee consisting of –
 - (a) One person nominated by the board of Management of the University;
 - (b) One person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the Ministry of AYUSH, Government of India;
 - (c) One person nominated by the Chancellor; and
 - (d) One person nominated by the state Government and the Chancellor shall appoint one these persons to be the Chairman of the Committee
- (4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the search committee.
- (5) The search committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice- Chancellor.

Amendment in the existing sub-section (2) of section 24, Rajasthan Act

No.15 of 2002— According to the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Aurved University, Jodhpur (amendment) bill, 2020

- 24 (2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician in the field of Ayurveda having a minimum of ten years college or ten year experience in an equivalent position in a reputed research and /or academic administrative organization

- (6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the search committee shall invite application from eligible persons through a public notice and while considering the names of person to be appointed as Vice- Chancellor. Weightage to academic excellence exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.
- (7) The term of the office of the Vice- Chancellor shall be three years form the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier: provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term
- (8) The Vice- Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the state government in addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the university and such other perquisites as may be prescribed.
- (9) When a permanent vacancy office of the Vice- Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).
- (10) When a temporary vacancy in the office of the Vice- Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith reports the matter to the chancellor, who shall make, on the advice of the state government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice- Chancellor by any other Vice- Chancellor of a State University.
- (11) The Vice- Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice- Chancellor.
- (13) where a person appointed as the Vice- Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or university, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the and the university shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (14) Where Vice- Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the university shall make necessary contribution to such scheme.
- (15) The Vice- Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the board of management of the university.
- (16) The Vice- Chancellor shall be entitle to leave as under:-
 - (a) Leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) Leave on half pay at the rate of twenty days for each Completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate”

Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 15 of 2002- For the existing section 24, of the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act. 2002(Act No.15 of 2002)- according to The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (Amendment) ACT. ,2018 (Act No.19 of 2018)

24.Vice-Chancellor - (1) The Vice-Chancellor shall be a full-time paid Officer of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of selection committee consisting of the following namely :-

- (a) a person nominated by the Board of Management who should not be connected with the University or any affiliated college or recognised or approved institutions;
- (b) a person having special knowledge of Indian System of Medicine nominated by the department of Indian System of Medicine (Health and family Welfare), Government of India.
- (c) the Secretary to the Government, Department of Ayurved, Rajasthan or any other officer nominated by the State Government.
- (d) One distinguished Ayurvedic Educationist nominated by the Chancellor, and the Chancellor shall, appoint one of these persons as the Chairman of the Committee.

(2)The process of preparing a panel shall begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the Vice-Chancellor and shall be completed within the time limit fixed by the Chancellor. The Chancellor may extend the time limit if necessary to do so but the period so extended shall not exceed three months in aggregate.

(3)The committee shall recommend a panel of not less than three suitable people for the consideration of the Chancellor for being appointed as the Vice-Chancellor. The names shall be in alphabetical order without any preference being indicated. The report shall be accompanied by a detail write-up on suitability for each person include in the panel.

(4)The University shall incur the expenditure on the committee as approved by the Chancellor.

(5)The Chancellor may appoint in consultation with the State Government one of the persons included in the panel to be the Vice-Chancellor. If the Chancellor does not approve any of the persons so recommended he may call for a fresh panel either from the same committee or after constitution of a new committee for the purpose.

(6)The person appointed as Vice-Chancellor shall hold office for the period of five years from the date on which he enters upon his office or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier and shall not be eligible for re-appointment

(7)The Vice-Chancellor may relinquish his office by resignation in writing under his hand addressed to the Chancellor which shall be delivered to the Chancellor normally 60 days prior to the date on which the Vice-Chancellor may relieve him earlier.

(8)The Chancellor may appoint any suitable person to act as a Vice-Chancellor for a term not exceeding six months in the aggregate as he may specify in his order, in any of the following circumstances :-

(a) Where any vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor because of death or resignation and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (6);

(b) Where the vacancy of the Vice-Chancellor occurs temporarily because of illness or other causes,

(9)The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes, and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

24 A. Removal of Vice- Chancellor (1) Notwithstanding anything contained in the Act if at any time on the report of the state Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him. or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to interest of the University, the Chancellor may in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor :

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultations with the State Government order that till further order-

(a) Such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled

(b) The functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order”

Insertion of new section 24 A, Rajasthan Act No.15 of 2002 - According to the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur (amendment) bill, 2020

25. Powers of Vice-Chancellor - (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Board of Management, Academic Council and of the Committees constituted under section 50. He shall be entitled to be present with the right to speak, at any meeting of any other authority or body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of that authority or body.

(2) The Vice-Chancellor shall have power to convene meetings of the Board of Management, the Academic Council and joint meeting of faculties and such other authorities of the University of which he is the Chairman. He may delegate this power to any other officer of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall, save as otherwise provided in this Act, be the appointing authority for the University teachers and officers equivalent to, or above the rank of, Assistant Registrar.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure that this Act, the Statutes, Ordinances and Rules are faithfully observed and he shall have all powers necessary for the purpose.

(5) (a) In any emergency which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires that immediate action should be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority or body as would have in the ordinary course dealt with the matter.

(b) When action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer an appeal through the said officer, authority or body to the Board of Management within fifteen days from the date on which such action is communicated to him.

(6) The Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board of Management regarding appointment dismissal, suspension and punishment of the persons in the service of the University or teachers of the University or regarding the recognition or withdrawal of the recognition of any such teacher and shall exercise general control over the affairs of the University. He shall be responsible for the discipline of the University in accordance with this Act, the Statutes and Ordinances.

(7) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.

26. The Registrar - (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall be a full-time salaried officer and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(1) The Registrar shall be appointed by the Board of Management in the manner laid down in the Rajasthan Universities, Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974, (Act No. 18 of 1974):

(2) Provided that first Registrar shall be appointed by the State Government.

(3) Appointment of the Registrar shall be for a term of five years and he shall be eligible for re-appointment. The qualifications and experience for the purpose of selection of the Registrar shall be as prescribed by Statutes

(4) The term, qualifications, experience, salary, emoluments and other conditions of service of the Registrar shall be may be determined by the Board of Management

(5) When the office of the Registrar falls vacant or when the Registrar is by reason of illness or absence or any other cause unable to perform the duties of his office for a period not exceeding six months, the Vice-Chancellor shall appoint a suitable person to officiate as the Registrar until a new Registrar is appointed and assumes office or the Registrar resumes duty, as the case may be.

(6) The Registrar shall act as Secretary of such authorities, bodies and committees as prescribed by or under this Act.

(7) The Registrar shall be the appointing and the disciplinary authority of the employees to the University other than the teachers and officers of the rank of Assistant Registrar and other officers holding posts equivalent thereto. An appeal by a person aggrieved by the decision of the Registrar may be preferred within thirty days from the date of communication of such decision, to the Vice-Chancellor.

(8) Subject to the decision of the authorities of the University, the Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University.

(9) The Registrar shall be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Board of the Management may commit to his charge.

(10) The Registrar shall prepare and update the Handbook of the Statutes, Ordinances and Rules approved by the authorities, bodies or committees from time to time, and make them available to all the respective members of the authorities and officers of the University.

(11) The Registrar shall receive complaints and suggestions in regard to the improvement an administration and consider them for appropriate action.

(12) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as prescribed by or under this Act or assigned to him, from time to time, by the Vice-Chancellor.

27. Dean - (1) There shall be a Dean Of each Faculty who shall be appointed by the Vice-Chancellor in following order of preference, namely :

(a) Principal/Director of Post-Graduated colleges in the Faculty concerned;

(b) Head of Department of subjects of the rank of professors in the Faculty concerned.

(2) The Deans shall hold office for a period of three years and no person shall be eligible for re-appointment until a period of at least three years has lapsed after the expiry of his last term

28. Functions of Dean - (1) The Dean of a Faculty shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Rules relating to that Faculty.

(2) The Dean shall preside at the meetings of the faculty and shall record its proceedings.

(3) The Dean shall have the right to be present and speak at the meetings of the Boards of Studies relating to his faculty but not to vote there at unless he is a member thereof.

29. The Finance and Accounts Officer: - (1) (a) The Finance and Accounts Officer shall be the principal finance accounts and audit officer of the University. He shall be full-time salaried officer and shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(b) The Finance and Accounts Officer shall be appointed in accordance with the provisions of Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) The Finance and Accounts Officer shall be the member secretary of the Finance and Accounts Committee. He shall remain in attendance and take part in the proceedings of the Board of Management on matters which have financial implications where asked by Chairman but he shall not be entitled to vote.

(3) The Finance and Accounts Officer shall be responsible for presenting the annual budget statement of accounts and audit reports to the Finance and Accounts Committee and the Board of Management.

(4) The duties of Finance and Accounts Officer shall be to:-

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and to advise the Vice-Chancellor as regards the finance of the University;
- (b) ensure that the limits fixed by the University for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded, and that all allocations are expended for the purpose for which they are granted or allotted;
- (c) keep watch on the progress/of collection of revenue and advise the Vice-Chancellor on the methods to be employed for collection;
- (d) Deleted clause according to Amendment Bill No.15 of 2015.
- (e) ensure that the register of buildings, land, equipment and machinery are maintained upto-date and that the stock-taking of equipments and other consumable materials in all officer's, colleges, workshops and stores of the University is conducted regularly;
- (f) purpose to the Vice-Chancellor that explanation be called for unauthorized expenditure or other financial irregularities from any academic member of the University;
- (g) purpose to the Registrar that explanation be called from any employee or officer of the University for unauthorized expenditure or irregularities in any particular case, and recommended disciplinary action against the persons at fault;
- (h) call from any office, centre, laboratory, college, department of the University or University institution, for any information and returns that he thinks necessary for the proper discharge of his financial responsibilities and
- (i) exercise such other powers, perform such other duties and discharge such other financial functions as are assigned to him by the Vice-Chancellor or are prescribed by the Statutes or Ordinances.

Deleted existing clause (d) of sub-section (4) of section 29 according to Bill

No. 10 of 2015

29-4-(d) have the accounts of the University audited regularly;

30. Other Officers:- (1) The mode of appointment and the functions of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

(2) The salary, emoluments and other conditions of service of the other officers shall be such as may be determined by the Board of Management.

Chapter - V

STATUTES, ORDINANCES AND RULES

31. Statutes:- Subject to such conditions as may be prescribed by or under the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :

- (a) conferment of honorary degrees;
- (b) holding of convocations to confer degrees;
- (c) powers and duties of the officers of the University;
- (d) constitution, powers and duties of the authorities of the University save as provided in this Act.
- (e) institution and maintenance by the University of colleges, departments, institutions and hostels;
- (f) acceptance and management of bequests, donations and endowments;
- (g) procedure at meetings of the authorities of the University and for the transaction of their business;
- (h) qualifications of professors, readers, lecturers and teachers in affiliated colleges and recognised and approved institutions;
- (i) all matters which by this Act are to be or may be prescribed by the Statutes.

32. Making, amendment, operation and repeal of Statutes. -

- (1) The Statutes may be made by the Board of Management or may be amended or repealed or, added to by Statutes made by the Board of Management, in the manner here in after provided.
- (2) The Board of Management may take into consideration the draft of the Statute either of its own motion or on a proposal by any authority of the University.
- (3) Where a Statute affects the powers or duties of any officer or authority of the University -
 - (a) the Board of Management shall, before proposing the draft of such Statute, ascertain and consider the views of the officer or authority concerned; and
 - (b) the Board of Management, before passing any such Statute taken into consideration of its own motion, shall ascertain and consider the views of the officer or authority concerned.
- (4) Every Statute passed by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or refer it back to the Board of Management for consideration.
- (5) No Statutes or any amendment thereto shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (6) The Statutes or any amendment thereto shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

33. Scope of Ordinances and their making: - (1) Subject to the provisions of the Act and the Statutes made there under, the Board of Management may make Ordinance to provide for all or any of the following matters, namely: -

- (a) The admission of students to the University;
- (b) the course of study and curricula to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University.
- (c) The conditions under which students shall be admitted to courses of study and curricula and examinations for degrees, diplomas and other academic distinctions;
- (d) The recognition and inspection of hostels;
- (e) Conditions of residence, conduct, attendance and discipline of students of the University;
- (f) Conduct of examinations;
- (g) recognition of supervisors for guiding research;
- (h) emolument and conditions of service of the University teachers;
- (i) rules to be observed and enforced by affiliated colleges in respect of transfer of students;
- (j) number, qualification and condition of appointment of teachers of the University;
- (k) duties and powers of the Committees to be appointed by the authorities;
- (l) the powers and duties of the Registrar and other officers and servants of the University;
- (m) the conditions governing appointments and duties of examiners;
- (n) the mode of execution of contracts or agreements for, or on behalf of the University;
- (o) the fees to be charged for courses of instruction in, or on behalf of the University;
- (p) all matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by Ordinances; and
- (q) generally, all matters for which provision is, in the opinion of Board of Management, necessary for the exercise of the powers conferred, or the performance of the duties imposed, upon the University authorities by this Act or Statutes.

Provided that no Ordinances concerning admission to the University or to its examinations, courses of study, scheme of examination, attendance and appointment of examiners shall be considered unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic Council.

(2) The Board of Management shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under the provision to such-section (1) but may return it to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendment which the Board of Management may suggest.

(3) All Ordinances made by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor for approval and all such Ordinances shall take effect from the date of their publication in the Official Gazette after the approval by the Chancellor.

(i)

34. Rules and their making:- An authority of the University shall, subject to the approval of the Board of Management where the Rules are made by an authority other than the Board of Management, have power to make rules in respect of the matters provided by this Act, Statutes or Ordinances and for the conduct of its affairs and the affairs of the committees constituted by such authority. Such rules shall not be inconsistent with the provisions of this Act, Statutes and Ordinances.

Chapter VI AFFILIATION, RECOGNITION AND APPROVAL

35. Affiliation:- (1) A College applying for affiliation to the University shall send a letter of application to the Registrar and shall satisfy the Academic Council-

- (a) that the college will supply a need in the locality in respect of instruction and teaching in the Indian System of Medicine having regard to the suitability of the locality where the college is to be established;
- (b) that the college is to be under the management of a regularly constituted governing body;
- (c) that the strength and qualification of the teaching staff and the conditions governing their tenure of office are such as to make due provision for the course of instruction, teaching or training to be undertaken by the college;
- (d) that the buildings in which the college is to be located are suitable and that provision will be made in conformity with the Ordinances for the residence in the college or in lodging approved by the college, for students not residing with their parents or guardians and for the supervision and welfare of students.
- (e) that due provision has been made or will be made for a library;
- (f) that arrangements have been or will be made in conformity with the Statutes and Ordinances for imparting instruction in Indian System of Medicine in a properly equipped laboratory or museum;
- (g) that due provision will, as far as circumstances may permit, be made for the residence of the Principal and some members of the teaching staff in or near the college or the place provided for the residence of the students;
- (h) that the financial resources of the college are such as to make due provision for its continued maintenance and efficient working; and
- (i) that the college rules fixing the fees, if any, to be paid by the students, have not been so framed as to involve such competition with any existing college in the same neighbourhood as would be injurious to the interest of education.

- (2) The application shall contain as assurance that after the college affiliated, any changes in the management or teaching staff and all other changes, which result in any of the requirements mentioned in the sub-section (1) not being fulfilled or continued to be fulfilled, shall be forthwith reported to the Academic Council.
- (3) On receipt of a letter of application under sub-section (1) the Academic Council shall -
 - (a) direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf in respect of the matters referred to in sub-section (1) and such matters as may be deemed necessary and relevant;
 - (b) make such further inquiry as may appear to it to be necessary;
 - (c) give due consideration to the request, if any, made by the applicant for a reconsideration of any of the conditions conveyed to him;
 - (d) record it's opinion on the question whether the application should be granted or refused other in whole or in part, stating the result of any enquiry under clauses (a) and (b).
- (4) The Registrar shall submit the application and all proceedings to the State Government, which, after such inquiry as may appear to it to be necessary, shall grant or refuse the application or any part thereof.
- (5) Where the application or any part thereof is granted the order of the State Government shall specify the courses of instruction in respect of which the college is affiliated and where the application of any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.
- (6) As soon as possible after the State Government makes its order, the Registrar shall submit to the Board of Management a full report regarding the application, the action taken thereon under sub-sections (3) to (5) and of all proceedings connected therewith.
- (7) An application under sub-section (1) may be withdrawn at any time before an order is made under sub-section (4).

36. Extension of affiliation.- Where a College desires to add to the courses of instruction in respect of which it is affiliated, the procedure prescribed by section 35 shall, so far as may be, be followed.

37. Recognition of institutions of research and specialized studies.-

- (1) The Academic Council shall have the power to recognize as a recognized institution any institution of research or specialized studies in Indian System of Medicine other than a college.
- (2) An institution which desires to have such recognition shall send letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely:-
 - (a) constitution and personnel of the managing body;
 - (b) subjects and courses in regard to which recognition is sought;
 - (c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been or is proposed to be made;

- (d) the strength of the staff, their qualifications and salaries and the research work done by them;
 - (e) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.
- (3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.
 - (4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorized by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is recognized and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.
- 38. Approval of institutions.- (1)** The Academic Council shall have the power to approve an institution as an approved institution for specialized studies, laboratory work, internship, research or other academic work in the Indian System of Medicine under the guidance of a single qualified teacher.
- (2) An institution which desires to have such approval shall send a letter of application to the Registrar and shall give full information in the letter of application in respect of the following matters, namely :-
 - (a) the name, qualifications, experience and research work of the teacher under whom approved work is to be done.
 - (b) the nature of work or the subjects for which work is proposed to be done;
 - (c) accommodation, equipment, library facilities and the number of students for whom provision has been made or is proposed to be made;
 - (d) fees levied or proposed to be levied and the financial provision made for capital expenditure on buildings and equipment and for the continued maintenance and efficient working of the institution.
 - (3) Before taking the application into consideration the Academic Council may call for any further information, which it may deem necessary.
 - (4) If the Academic Council decides to take the application into consideration, it may direct a local inquiry to be made by a competent person or persons authorised by it in this behalf. After considering the report made as a result of such local inquiry and making such further inquiry as may appear to it to be necessary, the Academic Council shall grant or refuse the application or any part thereof. Where the application or any part thereof is granted, the Academic Council shall specify the subjects and courses of instruction in respect of which the institution is approved and make a report to that effect to the Board of Management at its next succeeding meeting. Where the application or any part thereof is refused, the grounds of such refusal shall be stated.

39. Inspection of college and reports.- (1) Every affiliated college, recognized institution and approved institution shall furnish such reports, returns and other information as the Academic Council may require to enable it to judge the efficiency of the college or institution.

- (2) The Academic Council shall cause every such college or institution to be inspected from time to time by one or more competent persons authorized by it in this behalf.
- (3) The Academic Council may call upon any college or institution so inspected to take, within a specified period, such action as may appear to it to be necessary in respect of any of the matters referred to in sub-section (1) of section 35, sub-section (2) of section 37, or as the case may be, sub-section (2) of section 38.

40. Withdrawal of affiliation.- (1) The rights conferred on a college by affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified if the college has failed to carry out any of the provisions of sub-section (1) of section 35 or the college has failed to observe any of the conditions of its affiliation or the college is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education.

- (2) A motion for the withdrawal or the modification of such rights shall be initiated only in the Academic Council. The member of the Academic Council who intends to move such a motion shall give notice of it and shall state in writing the grounds on which it is made.
- (3) Before taking the said motion into consideration, the Academic Council shall send a copy of the notice and written statement mentioned in sub-section (2) to the Principal of the college concerned together with intimation that any representation in writing submitted within a period specified in such intimation on behalf of the college, will be considered by the Academic Council.

Provided that the period so specified may, if necessary, be extended by the Academic Council.

- (4) On receipt of the representation or on the expiry of the period referred to in sub-section (3), the Academic Council after considering the notice of motion, statement and representation and after such inspection by competent person or persons authorized by it in this behalf and such further inquiry as may appear to it to be necessary shall make a report to the Board of Management.
- (5) On receipt of the report under sub-section (4) the Board of Management shall, after such further inquiry, if any, as may, appear to it to be necessary, record its opinion in the matter;
Provided that no resolution of the Board of management recommending the withdrawal of affiliation shall be deemed to have been passed by it unless the resolution has obtained the support of two-thirds of the members present at a meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management.
- (6) The Registrar shall submit the proposal and all proceedings, if any, of the Board of Management and the Academic Council relating thereto, to the State Government which, after such further inquiry, if any, as may appear to it to be

necessary, shall make such order as it deems fit and communicate it to the Board of Management.

- (7) Where by an order made, under sub-section (6), the rights conferred by affiliation are withdrawn in whole or in part or modified, the grounds for such withdrawal or modification shall be stated in the order.

41. Withdrawal of recognition or approval- (1) The rights conferred on an institution by recognition or approval may be withdrawn or suspended for any period by the Academic Council, if the institution has failed to observe any conditions of its recognition or approval or the work assigned to it, is conducted in a manner which is prejudicial to the interests of education, or the teacher recognized by the University leaves the institution.

- (2) Before making an order under sub-section (1) in respect of any recognised or approved institution, the Academic Council shall by notice in writing, call upon the institution to show cause within one month from the date of the receipt of the notice, why such an order should not be made. The period so given for showing the cause may, if necessary, be extended by the Academic Council.
- (3) On receipt of the explanation, if any, made by the institution in reply to the notice, and where no such reply is received, on the expiry of the period referred to in sub-section (2), the Academic Council shall, after such inquiry, if any, as may appear to it to be necessary, decide whether the recognition or approval should be withdrawn or as the case may be, suspended and make an order accordingly.

CHAPTER VII POST GRADUATE TEACHING AND RESEARCH CENTER

42. Post- graduate teaching- (1) All post-graduate instruction, teaching, research and training shall be conducted by the University or by such affiliated colleges or institutions and in such subject as may be prescribed by the Statute.

- (2) All post- graduate departments and research centres shall ordinarily be located at the headquarters of the University. However, the University may locate any of such departments or centres at a place or places outside its headquarters.
- (3) The University may maintain University centres at places other than the headquarters of the University on such terms and conditions, as may be prescribed by the Statutes and Ordinances.

CHAPTER - VIII
FUND AND FINANCE

43. University Fund- (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.

- (2) The following shall form part of or be paid into, the University Fund:-
- any contribution or grant by the State Government, the Union Government, or the University Grants Commission;
 - the income of the University from all sources including income from fees and charges.
 - bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (3) The University Fund shall be kept in any scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934) or the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Central Act No. 23 of 1955) or being such a bank as may be approved by the State Government on the recommendation of the Board of Management.

(44). Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance and Accounts Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Finance and Accounts Officer shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Finance and Accounts Officer shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance and Accounts Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Finance and Accounts Officer who shall take action in accordance therewith.)

44-A. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the

funds are received; and

(g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

44-B. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.-

(1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.”.

Amendment of section 44& Insertion of new sections 44-A and 44-B according to Bill No. 10 of 2015

44. Annual accounts and financial estimates - (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the direction of the Finance and Accounts Committee and shall be submitted to the Board of Management.

- The Board of Management shall, after the accounts are audited, submit a copy thereof alongwith a copy of the audit report to the State Government.
- The Finance and Accounts Committee shall also prepare, before such date as may be prescribed by the Statutes, the financial estimates for the ensuing year.
- The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Board of Management at its annual meeting and the Board of Management may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Finance and Accounts Committee which shall take them into consideration and take such action therein as it thinks fit, and finally adopt the accounts and financial estimates. The Finance and Accounts Committee shall inform the Board of Management at its next meeting of the action taken by it or of its reasons for taking no action.

45. Annual Report - The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and shall be submitted to the Chancellor and the State Government.

**CHAPTER - IX
MISCELLANEOUS**

46. Enrolment of Students:- No students shall be enrolled as a student of the University unless he possesses such qualifications as may be prescribed by the Statutes.

47. Residence of the students: - Every students of the University shall reside in a hostel or under such conditions as may be prescribed by the Ordinances.

48. Honorary Degree :- If not less than two-thirds of the members of the Academic Council recommend that an honorary degree, or other academic distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion, by reason of eminent position and attainments a fit and proper person to receive such degree or other academic distinction and where their recommendation is supported by a majority of not less than two-thirds of the member of the Board of Management present at a meeting of the Board of Management, such majority comprising not less than one-half of the members of the Board of Management and the recommendation is confirmed by the Chancellor, the Board of Management may confer on such person the honorary degree or other academic distinction so recommended without requiring him to undergo any examination.

49. Withdrawal of Degree or Diploma :- (1) The Chancellor may, on the recommendation of the Academic Council and the Board of Management supported by a majority of not less than two-thirds of the members of each body persons at its meeting, such majority comprising not less than one half of the members of each body, withdraw from any person a diploma or degree if he has been convicted by a court of law of any offence which in the opinion of the Academic Council and the Board of Management, is a serious offence involving moral turpitude.

(2) No action under this section shall be taken unless the person concerned is given an opportunity of being heard in his defence in the manner prescribed by the statutes.

50. Committees- All the authorities of the University shall have power to appoint committees. Such committee may include persons who are not members of the author appointing the committee.

51. Pension, Insurance and provident Fund - The University shall make such provisions for the benefit of officers, teachers and other servants in such matters insurance, pension, provident fund or other benefits as may deem fit, in such manner and subject to such condition as may be prescribed by the Statutes.

52. Provident Fund to be deposited in government Treasury - (1) Where the University has established provident fund for the benefit of its officers, teachers and other servants under section 51 such fund shall not with standing anything, contained in any law for the time being in force, be deposited in the State

Government Treasury in accordance with such directions as the State Government may, from time to time by an order in written give and Thereupon --

- (a) the subscriber to the fund shall be entitled interest on the balance in his provident fund account at the same rate, at which the State Government servant is for the time being entitled to on the balance of his provident fund account and
 - (b) the rules for the time being in force relating to the limits of withdrawals from the provident fund applicable to such Government servant shall, so as may be, apply to the subscriber.
- (2) Nothing in the section shall apply to a Provident Fund established by the University to which the Employee Provident Found and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (central Act. No. 19 of 1952) applies.

53. Vacating of office -- (1) Any members of authority or body of the University may resign his office letter addressed to the Vice-Chancellor through the Registrar and the resignation shall take effect on its acceptance by the Vice-Chancellor or on the expiry of thirty days from the date of receipt of the letter by the Vice-chancellor whichever event occurs earlier.

(2) Any member of any authority or body of the University shall cease to be a member on his being convicted by a court of law of an offence, which in the opinion of the Board of Management involves moral turpitude.

54. Filling of casual vacancies- When any vacancy occurs in the office of a member (other than an ex-officio member) of any authority or other body of the University before the expiry of the term of office of such member, the vacancy shall be filled up, as soon as conveniently may be, by nomination, appointment or co-option, as the case may be of a member who shall hold office so long only as the member in whose place he has been nominated, appointed or co-opted, would have held it, if the vacancy had not occurred.

55. Proceedings not invalidated by vacancies - No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of any vacancy in its membership.

56. Completion of courses of studies in institutions recognized by the faculty -- Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes and Ordinances made thereunder any student of an institution entitled to train students for the examinations of the Faculty who immediately before the date on which this Act comes into force was studying or as eligible for any examination of the Faculty shall be permitted to complete his course in preparation therefore and the University shall provide for such period and in such manner as may be prescribed by the Statutes for

the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the courses of studies of the faculty.

57. Appointment of the First Vice-Chancellor - Not with standing anything contained in section 24, the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government as soon as practicable after the commencement of this Act for a period not exceeding three years and on such terms and conditions as the State Government thinks fit.

58. Disputes as to Constitutions of University, Authority or body -- If any question arises regarding the interpretation of any provision of this Act, or of any Statute, Ordinance or Rule or as to whether a person has been duly appointed as or is entitled to be or ceases to be, a member of any authority or other body of the University, the matter may, on petition by any person or body directly affected or suo motu, be referred by the Vice-Chancellor to the Chancellor and shall be so referred to the Chancellor if the members of the Board of management so require. The Chancellor shall, after taking such advice, as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

59. Officers and employees to be public servants -- Every officer and employee of the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

Explanation: - For the purposes of this section any person who is appointed by the University for a specified period, or for a specified work of the University or who receives any remuneration by way of compensatory allowance or fee for any work done from the University Fund shall be deemed to be an officer or employee of the University while he is performing, and in relation to all matters relating to the performance, and in relation to all matters relating to the performance of, the duties and functions connected with such appointment or work.

60. Legal proceedings -- All suits and other legal proceedings by or against the University shall be instituted, prosecuted or defended on behalf of the University by the registrar or any other officer specifically nominated in this behalf by the Vice-Chancellor.

61. Power to remove difficulties -- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such order, consistent with provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

62. Statutes, Ordinances and Rules to be published in the Official Gazette and laid before the house of the State Legislature -- (1) Every Statute, Ordinance and Rule of the University made from time to time, shall be published in the Official Gazette.

(2) Every statute, Ordinance and Rule of the University made by amendment or otherwise after the commencement of this Act shall as soon as may be after it is made be laid before the House of the State legislature while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House of the State Legislature agrees to make any modifications in the Statute, Ordinance, and Rule or agrees that the Statute, Ordinance and rule should not be made, such Statute, Ordinance and Rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute, Ordinance and Rule.

जी.एस.होरा.

Secretary to the Government.